

प्रशिक्षण सामग्री

के. जी. बी. वी. उच्च प्राथमिक स्तर के हिंदी
शिक्षकों के लिए

भाषा की समझ

महिला अध्ययन विभाग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली 110 016

भाषा की समझ

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-5007-213-4

प्रथम संस्करण

मार्च 2013 फाल्गुन 1934

PD 2T NSY

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2013

₹ ?.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.
एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री
अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा
प्रकाशित तथा
..... द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक को पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक को बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक को पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधार पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे

बनाशंकरा III स्टेज

बेंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस

निकट: धनकल बस स्टॉप पतिहटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781 021

फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अशोक श्रीवास्तव

मुख्य उत्पादन अधिकारी : शिव कुमार

मुख्य संपादक (प्रभारी) : नरेश यादव

मुख्य व्यापार प्रबंधक : गौतम गांगुली

उत्पादन अधिकारी :

आवरण

ब्ल्यू फिश

प्राक्कथन

लड़कियों को शिक्षा के दायरे में लाना प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यू.ई.ई.) का मूल विषय है। यू.ई.ई. के राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम 'सर्व शिक्षा अभियान' में इस आवश्यकता को महसूस किया गया है कि लड़कियों को, विशेषतः वंचित वर्गों की लड़कियों को स्कूलों में दाखिला देने और प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में विद्यमान लड़कों-लड़कियों की असमानता को कम से कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ। इसी संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने के.जी.बी.वी. योजना का सूत्रपात करके दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के उपेक्षित और अभावग्रस्त समुदायों की लड़कियों की सांस्कृतिक तथा आर्थिक वंचना का प्रतिकार करने का प्रयास किया है। यह भारत सरकार की नवाचारी और आशाजनक योजना है। इसे एक योजना के रूप में 2004 में आरंभ किया गया था और 2007 में यह सर्व शिक्षा अभियान का अंग बन गई थी। आजकल इस योजना के अंतर्गत 24 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में काम हो रहा है।

एन.सी.ई.आर.टी. में 11-12 अगस्त 2008 को एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें के.जी.बी.वी. की उस योजना के विषय में अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया था जो कुछ वर्षों से चल रही थी। इस परामर्श कार्यक्रम में विभिन्न अकादमिक क्षेत्रों के विद्वानों, सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और इस योजना से मूलतः संबंधित हितभागियों-छात्रों, अध्यापकों और के.जी.बी.वी. छात्रपालों (वार्डनों) ने भाग लिया। इस परामर्श कार्यक्रम में इस बात की जोरदार सिफ़ारिश की गई कि के.जी.बी.वी. में दाखिला लेने वाली छात्राओं के लिए सेतु पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए और के.जी.बी.वी. के अध्यापकों के कौशलों के स्तर को ऊँचा करने के लिए लक्ष्य-आधारित अध्यापक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किए जाएँ। इस पृष्ठभूमि में महिला अध्ययन विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय के विभागों, दिल्ली स्थित गैर-सरकारी संगठनों और के.जी.बी.वी. के अध्यापकों समेत स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के सहयोग से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 पर आधारित अध्यापक प्रशिक्षण पैकेज तथा सेतु पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए पहल की। प्रस्तुत सामग्री विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन, अंग्रेजी और हिंदी भाषा तथा कला शिक्षा की विषय-वस्तु के क्षेत्र के संबंध में विकसित की गई है। यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है।

इस प्रयास की सफलता मुख्यतः उन विविध संदर्भगत कार्यों पर निर्भर करती है जिन्हें के.जी.बी.वी. के प्रधानाचार्य और अध्यापक इस दृष्टिकोण से करना चाहेंगे कि जिससे छात्राओं को अपनी शिक्षा के विषय में सोचने-विचारने का तथा कल्पनाजनित क्रियाकलाप और प्रश्नों के समाधान ढूँढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अगर लड़कियों को समय, अवसर और स्वतंत्रता दी जाए तो उनमें वयस्कों से प्राप्त सूचना के आधार पर नयी जानकारी स्वयं रचने की क्षमता होती है। पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों को परीक्षा का आधार मान लेना ही ज्ञान के अन्य स्रोतों और स्थलों की उपेक्षा का मुख्य कारण है। लड़कियों में रचनात्मकता और

पहल तभी लाई जा सकती है जब हम लड़कियों को सीखने की क्रिया में सहभागी मान लें न कि केवल स्थिर संचित ज्ञानराशि की प्राप्तकर्ता के रूप में। अध्यापकों को लड़कियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि स्वयं अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्षीकृत ज्ञान जोड़ कर देखें।

प्रस्तुत प्रशिक्षण सामग्री में विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, सामाजिक व राजनीतिक जीवन, भाषाएँ (अंग्रेज़ी और हिंदी) तथा कला शिक्षा आदि विषय-क्षेत्रों में अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान ही उनके कौशल को समुन्नत करने का प्रयास किया गया है। हर विषय में क्रियाकलाप आधारित शिक्षण तथा अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सहभागी शैक्षिक विधियाँ अपनाई गई हैं। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित इस सामग्री को आरंभिक सामग्री के रूप में स्वीकार करके, बाद में अनुपूरक सामग्री तैयार की जा सकती है। यह सामग्री सर्वांग-संपूर्ण नहीं है और इसे के.जी.बी.वी. के अध्यापकों की संदर्भगत आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया या अनुकूलित किया जा सकता है।

यह अध्यापक प्रशिक्षण सामग्री बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम 2009 में उल्लिखित कुछ सरोकारों का समाधान करने के विषय में संगत-सिद्ध होगी-विशेषकर नवप्रवर्तनों और क्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के विषय में। विभिन्न विषय क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण सामग्री इस प्रकार विकसित की गई है कि बच्चों के लिए अनुकूल तरीके से और बाल-केंद्रित पद्धति से क्रियाकलापों, खोजों और अन्वेषणों के जरिए सीखने को प्रोत्साहित किया जा सके।

महिला अध्ययन विभाग के प्रस्तुत प्रयास में एन.सी.ई.आर.टी. के पूर्व निदेशक प्रो. कृष्ण कुमार का सतत निर्देशन और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा जिसके कारण यह संपन्न हो सका। के.जी.बी.वी. योजना के अध्यापकों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रस्तुत अध्यापक प्रशिक्षण पैकेज के महत्त्व के विषय में उनकी दृष्टि सार्थक सिद्ध हुई है।

हम डॉ. शारदा जैन, निदेशक, *संधान*, जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा समिति के सदस्यों के योगदान के लिए उनके आभारी हैं। समिति की अध्यक्ष तथा सिसटर सबरीना, महिला समाख्या सोसाइटी, पटना, बिहार; सुश्री सीमा भास्करन्, राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या सोसाइटी, केरल; सुश्री अमुक्ता महापात्र, निदेशक, स्कूल स्केप, चेन्नई की समीक्षा तथा सुझावों के लिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

हम सुश्री सरिता मित्तल, निदेशक, ई.ई.8; सुश्री किरन डोगरा, परामर्शदाता जेंडर, एडसिल तथा सुश्री दीप्ता भोग, निदेशक, *निरंतर* को भी उनके योगदान तथा सुझावों के लिए धन्यवाद देते हैं।

एन.सी.ई.आर.टी. अपनी सभी कृतियों की गुणवत्ता के क्रमिक तथा निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। सभी विद्वानों से अनुरोध है कि हमें अपनी टिप्पणियाँ तथा सुझाव भेजते रहें ताकि हम भविष्य में भी इनका संशोधन तथा परिष्करण कर सकें।

नयी दिल्ली

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद

आमुख

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) की शिक्षण सामग्री एन.सी.ई.आर.टी. की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन, कला, शिक्षा, विज्ञान और गणित आदि विभिन्न विषयों के लिए विकसित की गई यह समस्त सामग्री एन.सी.ई.आर.टी. की उच्च प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है। इस सामग्री से के.जी.बी.वी. के अध्यापकों को यह अवसर प्राप्त होगा कि वे अपने-अपने विषय-क्षेत्र से संबंधित कार्यनीतियों, कार्य पद्धतियों तथा दृष्टिकोणों (उपागमों) की जानकारी प्राप्त कर सकें। वस्तुतः कक्षाओं में नयी बातों को खोज निकालने और रचनात्मकता को बढ़ाने की काफ़ी आवश्यकता है। अंग्रेजी की द्विभाषी तकनीक के उपयोग से अध्यापकों को निरंतर अपने कौशल को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

प्रस्तुत अध्यापक प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषता है, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में लचीलापन और पठन-सामग्री एवं मौखिक परंपराओं का उपयोग करते हुए इस सामग्री में दिए गए सुझावों के अनुसार कार्यपत्रकों, अध्यापक प्रदर्शनों, कथा-कहानियों, कविता पाठ, शब्द-वर्ग पहलियों, प्रयोग तथा स्वयं कार्य करके सीखने का कौशल प्राप्त करना।

इस सामग्री के निर्माण में प्रत्येक विषय की उच्च प्राथमिक कक्षाओं की सभी पाठ्यपुस्तकों में स्वीकृत संकल्पना का उपयोग किया गया है। प्रत्येक संकल्पना के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप बताए गए हैं ताकि प्रयोग करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा सके। संकल्पना या कारण को क्रियाकलापों द्वारा प्रस्तुत किया गया है ताकि शिक्षार्थी उन्हें समझकर और उनका विश्लेषण करके उनका उपयोग करें, ताकि बाद में वे अपने वास्तविक जीवन में आई चुनौतियों का सामना करने में सफल हो सकें। आशा है कि यह सामग्री स्रोत तथा संदर्भ दोनों दृष्टियों से उपयोगी रहेगी। ये क्रियाकलाप सुझाव के रूप में हैं। स्थान-विशेष की आवश्यकता के अनुसार अन्य क्रियाकलापों को भी अपनाया जा सकता है। प्रत्येक क्रियाकलाप में इसकी पूरी गुंजाइश है कि स्थान-विशेष के संदर्भ में ऐसे अन्य क्रियाकलाप भी अपनाए जा सकें। यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रस्तुत प्रशिक्षण सामग्री में दी गई सामग्री पर ही निर्भर रहा जाए। यदि इसकी सहायता से इसी प्रकार की अन्य नयी सामग्री प्राप्त हो सके तो इसका क्षेत्र अधिक बढ़ सकेगा।

महिलाओं ने अनेक ऐतिहासिक तथा सामाजिक गतिविधियों में योगदान किया है। हमें ज्ञात है कि इतिहास के विभिन्न कार्यक्रमों में समाज-सुधार तथा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही अन्य क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तदनुसार इतिहास की अध्यापक प्रशिक्षण सामग्री में रानी गाइदिनलियु, पंडिता रमाबाई, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ़ अली और अन्य अनेक महिलाओं के योगदान का विशेष उल्लेख किया गया है। उन्होंने जिन संकट-बाधाओं का सामना किया और उन्हें अंततः किस तरह सफलता प्राप्त हुई—उससे लड़कियों को अपने जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। इसी तरह अंग्रेजी भाषा की अध्यापक प्रशिक्षण सामग्री में झाँसी की रानी तथा इला सयानी आदि सुविख्यात महिलाओं के विषय में

प्रेरक सामग्री दी गई है। सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन से संबंधित प्रशिक्षण पैकेज में यह प्रयास किया गया है कि अध्यापक गैर-परंपरागत भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील हों। विज्ञान तथा गणित के विषयों में प्रख्यात विदुषियों से संबंधित प्रेरक सामग्री शामिल करने से इन विषयों की प्रशिक्षण सामग्री अधिक रोचक हो गई और इससे महिलाओं के योगदान को उचित अभिव्यक्ति मिली है। भारत तथा विश्व की अन्य महिलाओं ने भी विभिन्न विषय क्षेत्रों में जो उथल विद्यार्थियों की पहल है उनके उल्लेख से के.जी.बी.वी. की छात्राओं को ऐसे विषयों का गहन अध्ययन करने में प्रोत्साहन मिलेगा जिनमें प्रायः पुरुषों की प्रधानता होती है। कल्पना चावला से लड़कियों को ऊँची उड़ान करने की प्रेरणा मिलेगी तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से अंक-संख्या-सांख्यिकी के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विज्ञान में दो बार नोबल पुरस्कार पाने वाली मैडम क्यूरी के जीवन से उन्हें स्वयं के नारी होने पर गर्व होगा। शिक्षण से इस प्रकार दिशा-दशा या अभिविन्यास देने से के.जी.बी.वी. के अध्यापक निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन के दिग्दर्शक और प्रतिनिधि बन सकेंगे।

लक्ष्मी लाकड़ा और फ़ातिमा के उदाहरणों से सभी हृदयों पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा। भूगोल में अध्यापक स्थान-रूपी परिघटना की सही व्याख्या कर पाते हैं। इससे क्षेत्रीय विभिन्नताओं और संसाधनों के संरक्षण के प्रति मानव-मूल्यां का विकास होता है और इन्हें ठीक से समझने में आसानी होती है। कला और सौंदर्यशास्त्र के अध्ययन से कला अभिव्यक्ति में विविधता की प्रेरणा मिलती है। नृत्य, संगीत, नाटक आदि प्रदर्शनकारी कलाओं के विभिन्न रूपों के माध्यम से लड़कियाँ संप्रेषण में कुशलता प्राप्त कर सार्वजनिक अभिव्यक्ति में सक्षम योगदान दे सकती हैं। हिंदी में मोइना की कहानी बालिकाओं को ज्ञान की रचना के लिए जिज्ञासु बनने का उत्साह दिलाती है। विभिन्न अध्यायों में हिंदी भाषा के विभिन्न कौशलों के विकास हेतु रोचक गतिविधियाँ भी दी गई हैं।

उपर्युक्त विविधताओं की दृष्टि से के.जी.बी.वी. के शैक्षिक उपागमों को बहुसत्रीय तथा विविधता संपन्न बनाया गया ताकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में के.जी.बी.वी. की अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके।

इस प्रशिक्षण सामग्री का पहला परीक्षण प्रयोग 22 फरवरी से 3 मार्च 2010 तक एन.सी.ई.आर.टी. में किया गया जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि नौ राज्यों द्वारा प्रशिक्षणार्थ भेजे गए प्रमुख प्रशिक्षकों को इस पैकेज की पूरी जानकारी दी गयी।

प्रमुख प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं और सुझावों को इस सामग्री में विधिवत् शामिल कर दिया गया है। इस विषय में भविष्य में प्राप्त होने वाले सुझावों का स्वागत होगा।

भूमिका

आमतौर पर भाषा को हम सतही नज़र से देखते हैं और उसे पढ़ने-लिखने के कौशल तक ही सीमित मान लेते हैं। दरअसल भाषा ज़िंदगी को समझने और उससे जुड़ने की प्रक्रिया है। भाषा के ही माध्यम से हम अवलोकन, तर्क और विश्लेषण जैसी क्षमताओं को और धार दे पाते हैं। हमें अपनी कक्षाओं में भाषा को इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अन्य विषयों की भाषा को समझने के साथ-साथ ही, भाषा उनकी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी बन सके। प्रशिक्षण पैकेज के सत्र भाषा की इसी समझ के इर्द-गिर्द तैयार किए गए हैं। भाषा के जिन पक्षों को इस पुस्तिका में लिया गया है, उनकी चर्चा स्कूली शिक्षा के दायरे में या तो होती ही नहीं है या होती भी है तो बहुत रूढ़ और सीमित परिप्रेक्ष्य में।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के ज़रिए इस पुस्तिका में हमने निम्नलिखित सत्रों को शामिल किया है:

भाषा क्या-क्या करती है : भाषा का इस्तेमाल हम अपने जीवन में किन उद्देश्यों के लिए, किन रूपों में करते हैं? यह कैसे हमारे लिए औज़ार और माध्यम का काम करती है?

पढ़ना : महज़ लिखे हुए का उच्चारण करना ही नहीं, बल्कि उसके अर्थ को समझना और उससे जुड़ना भी ज़रूरी है।

पाठ की आवाज़ : प्रत्येक पाठक अपने अनुभवों के ज़रिए पढ़ी हुई सामग्री से जुड़ता और उसके मर्म को समझता है।

पाठ से आगे : पाठ के अलावा जितने विविध किस्म के लेखन से हम रू-ब-रू होंगे, भाषा पर हमारी पकड़ उतनी ही सुदृढ़ होगी।

लिखना : एक अंदाज़ - ए-बयाँ : कहने की चाहत से जुड़ा है इसलिए मौके मिलने चाहिए।

संदर्भ से जुड़ा व्याकरण : व्याकरण की समझ भाषा के इस्तेमाल में निहित है। इसलिए व्याकरण को रटने के बजाय संदर्भ में रखकर बेहतर समझा जा सकता है।

भाषायी विकास : यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसे ऊपर लिखे बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य रूढ़ ढंग से 'ट्रेन करना' नहीं है, बल्कि भाषा से संबंधित पक्षों से रू-ब-रू होना, जूझना और उन्हें समझने के मौके देना है। इन सत्रों से गुज़र कर वे खुद से भाषा की समझ बना सकें। भाषा के प्रति उनके नज़रिये में जो भी फैलाव और बदलाव होगा, उसकी झलक उनकी कक्षा में देखने को मिलेगी।

भाषायी दक्षता अपने आप में एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह न सिर्फ़ हमें अपने जीवन को समझने में मदद करती है, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने में भी एक महत्वपूर्ण औज़ार के रूप में काम करती है।

पुस्तक निर्माण समिति

सदस्य

मुकुल प्रियदर्शिनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मिरांडा हाउस, नयी दिल्ली

शारदा कुमारी, वरिष्ठ प्रवक्ता, डाइट, आर. के. पुरम, नयी दिल्ली

मालविका राय, सलाहकार, रीडिंग डेवलपमेंट सेल, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

शर्मिला भगत, अंकुर, नयी दिल्ली

सदस्य - समन्वयक

नीरजा रश्मि, प्रोफेसर, सा.वि.शि.वि., एन.सी.ई.आर.टी. (पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, महिला अध्ययन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.), नयी दिल्ली

सत्र-सूची

परिचय-खेल



1. भाषा क्या-क्या करती है?



2. पढ़ना



3. पाठ की आवाज़



4. लिखना : एक अंदाज़-ए-बयाँ



5. पाठ से आगे



6. संदर्भ से जुड़ा व्याकरण



7. कैसे देखें और समझें बच्चों के भाषायी विकास को



परिचय-खेल

- सभी साथी एक गोल घेरे में खड़े हो जाएँगे।
- कोई एक साथी बीच में खड़े होकर ताली बजाएगा या गिनती गिनेगा। संभव हो तो संगीत भी बज सकता है। इस दौरान बाकी साथी घेरे में दौड़ेंगे या तेज-तेज चलेंगे।
- ताली, गिनती या संगीत रुकने पर उन्हें निर्देश मिलेगा, जैसे कि अपने परिधान के रंग से मेल खाते साथी को जोड़ीदार बना लें।
- जोड़े बनने के बाद दोनों जोड़ीदार एक-दूसरे से परिचय प्राप्त करेंगे। इसके लिए उन्हें पाँच मिनट का समय मिलेगा।
- अब बड़े समूह में सभी अपने-अपने जोड़ीदार का परिचय देंगे।

या फिर

सभी को एक कागज़ दिया जाएगा जिस पर कुछ इस तरह के सवाल होंगे :

- मनपसंद रंग, फ़िल्म, पिछले वर्ष कहाँ घूमने गए थे-जगह, जन्म का महीना, वर्ष। इस कागज़ को सभी सहभागियों के बीच बाँट दिया जाएगा।
- 15 मिनट के अंदर सभी सहभागी पूरे समूह में यह जानने की कोशिश करेंगे कि पूछी गई चीज़ों के आधार पर उनकी पसंद किससे मिलती-जुलती है।

फिर इस गतिविधि से क्या कुछ जान पाए, यह आपस में बाँटेंगे।



भाषा क्या-क्या करती है?

1

अधिकांश लोग भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम भर मानते हैं। भाषा को शब्द भंडार और नियमों के मिश्रण के रूप में देखा जाता है जो ध्वनि, शब्द और वाक्यों के स्तर पर खास ढंग से नियंत्रित होती है। यह सच भी है पर यह तसवीर का एक ही पहलू है।

भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है। यह सिर्फ संप्रेषण का ही काम नहीं करती बल्कि यह तो पूरी दुनिया को सोचने-समझने का माध्यम है। यह मानवीय व्यवहार का अटूट हिस्सा है। एक सूक्ष्म किंतु मजबूत ताकत की तरह भाषा संसार के प्रत्येक इंसान के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं, यहाँ तक कि मूल्यों और मनोवृत्तियों को आकार देती है। अपनी दिन भर की तमाम गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हम सोचते, महसूस करते, तर्क देते, विश्लेषण करते और चीजों से जुड़ते हैं। हम ये सभी काम भाषा के माध्यम से करते हैं। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि भाषा सिर्फ कहने और सुनने का ही नहीं अपितु सोचने-समझने, अवलोकन करने, विश्लेषण एवं तर्क करने और जीवन को प्रस्तुत करने का काम भी करती है।

भाषा के इन कामों के प्रति स्पष्ट समझ बनाने के लिए हम प्रस्तुत गतिविधियाँ कर सकते हैं।



गतिविधि 1

सहयोगी कुछ पर्चियाँ बनाएँ जिनमें जीवन से जुड़ी कोई न कोई स्थिति लिखी हो; जैसे—

- बचपन के दोस्त से जुड़ी कोई याद
- डर का अहसास
- परिवार में शादी-ब्याह के मौके पर हुई कोई घटना

- जब मैं बहुत परेशान थी
- जब किसी ने मदद की
- पहली बार शिक्षक/अध्यापक के रूप में
- जब यह सुनने को मिला “हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता”
- नौकरी का खयाल कैसे आया
- खुद का लिया एक फ़ैसला
- मेरी एक चोट
- एक मुलाकात
- हादसा

8-10 सहभागी पूरे समूह में अपनी पर्ची में लिखी बात से जुड़े अनुभव सुनाएँ। जब सभी अपना अनुभव सुना लेंगे तो आपस में चर्चा करेंगे :

- जिसने भी अपना अनुभव सुनाया, उसने समूह में अपनी बात कहने से पहले किस तरह की तैयारी की होगी? अर्थात्, बोलने से पहले क्या उसने अपने विचारों को व्यवस्थित किया होगा? कैसे?
- जो सुन रहे थे वे क्या केवल सुन रहे थे? ‘सुनना’ तो था ही पर उसके साथ मस्तिष्क में क्या कुछ और भी चल रहा था?

भाषा के ज़रिए ही हम एक दूसरे के अनुभव से जुड़ रहे थे और दूसरे के साथ घटित हुए को महसूस भी कर पा रहे थे।



गतिविधि 2

- सभी अपने-अपने स्थान पर ही बैठे रहें और आँखें बंद कर दो मिनट के लिए मौन रहें।

दो मिनट बाद—

- आँखें खोलने के बाद उनसे कहें कि वे इस सवाल पर सोचें : जब हम मौन थे, आँखें बंद थीं, तो क्या हम वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे थे? (सहयोगी संकेत दे सकते हैं—मौन के दौरान दिल-दिमाग में क्या कुछ चल रहा था?) हम मौन ज़रूर थे पर हमारे मस्तिष्क में कुछ न कुछ चल रहा था। हम लगातार कुछ सोच रहे थे। यह सोचना भाषा की मदद से हो रहा था।

गतिविधि 3

भाषा और अवलोकन

- भाषा अवलोकन करने और विश्लेषण करने का काम करती है। हम रेडियो या टी.वी. पर किसी तरह की कमेंट्री या गणतंत्र दिवस की परेड का आँखों देखा हाल उदाहरणस्वरूप ले सकते हैं कि कैसे किसी अन्य के अवलोकन के जरिए हम कुछ देख या जान पाते हैं। इस प्रकार कोई एक सहभागी प्रशिक्षण-कक्ष का आँखों देखा हाल सुनाए।

सामूहिक चर्चा के माध्यम से यह समझें कि कैसे भाषा अवलोकन करने और वर्णन करने में मदद कर रही है।

जब हम अपने द्वारा देखी गई वस्तु/घटना/जगह के बारे में दूसरों को बताते हैं तो भाषा की ही मदद लेते हैं; जैसे—

आज मैं बाज़ार गई थी। क्या रौनक थी! दुकानें तो ऐसी सजी थीं कि बस कुछ न पूछो। भीड़ इतनी थी कि कुछ खरीदने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और शोर तो इतना कि कान ही फट जाएँ। कोई चिल्ला रहा था—सौ में एक, सौ में एक, कोई दूसरा गरज रहा था—अब नहीं आइएगा तो फिर कब आइएगा।

गतिविधि 4 (सामूहिक)

भाषा, विश्लेषण और तर्क

कागज़ की कुछ पर्चियाँ बना लें। प्रत्येक पर्ची पर नीचे दिए गए कथन लिख लें (एक पर्ची पर एक ही कथन लिखें)। ये कथन समूह में चर्चा करवाने के लिए विचार बिंदु का काम करेंगे—

1. हमारे यहाँ लड़की अगर रात को सहेली के घर रुक जाए तो बुरा नहीं मानते।
2. पिटाई किए बिना तो बच्चे सुधर ही नहीं सकते।
3. हमारे यहाँ औरतें अपने आदमी से पूछे बगैर घर से बाहर नहीं जातीं।
4. अब हमारे यहाँ लड़कियाँ जीनपैट (जींस) पहनने लगी हैं।
5. बच्चों का बड़ों के आगे बोलना ठीक नहीं है।
(कुछ अन्य कथन भी जोड़े जा सकते हैं।)

सहभागी पाँच-पाँच के समूहों में बैठ जाएँ और इन विचार बिंदुओं पर चर्चा करें। चर्चा के दौरान निकले बिंदुओं को लिखें। तत्पश्चात् प्रत्येक समूह अपने मत को तर्क सहित सबके सामने प्रस्तुत करे। प्रस्तुति के लिए उन्हें 5 मिनट का समय दिया जाए।

सामूहिक चर्चा

चर्चा के दौरान एक बात स्पष्ट तौर पर उभर कर आएगी कि सहभागी पक्षों में लिखे विचार बिंदु पर अपनी सहमति-असहमति जताने के लिए **तर्क दे रहे हैं।**

जैसे- 'पिटार्ई किए बिना तो बच्चे सुधर ही नहीं सकते।' या कोई सहभागी अपनी असहमति प्रकट करते हुए तर्क दे सकती है, 'डॉट-डपट से तो बच्चे ढीठ ही होते हैं, प्यार से फिर भी बात मान लेते हैं।'

इसी तरह से सभी सहभागी अपने-अपने अनुभवों के आधार पर **तर्क देंगे**, चाहें पक्ष में या विपक्ष में। गौर करने पर सहभागी देखेंगे कि **तर्क देने के लिए वे भाषा का इस्तेमाल** कर रहे थे, कि अपने तर्कों को पुख्ता बनाने के लिए वे **अपने-अपने अनुभव सहेज** रहे थे, उन्हें व्यवस्थित कर रहे थे। इन सब कामों में भाषा उनकी मदद कर रही थी।



गतिविधि 5

भाषा जीवन को प्रस्तुत करने का काम करती है

हमारे इर्द-गिर्द सामाजिक संबंधों का जो ताना-बाना बुना हुआ है वह हमारी सोच को प्रभावित करता है। किसी स्थिति/घटना विशेष के प्रति हमारा जो भी दृष्टिकोण बनता है वह हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियों और पूर्व अनुभवों का परिणाम होता है। इस दृष्टिकोण के बनने, पनपने और दूसरों तक पहुँचने में भाषा की अहम भूमिका होती है।

भाषा के इस काम के प्रति समझ बनाने के लिए आप नीचे दी गई गतिविधि कर सकते हैं।

कुल चार समूह बना सकते हैं। प्रत्येक समूह नीचे दिए गए बिंदुओं में से एक पर अपने अनुभव बाँटे—

- परिवार में सबका रूटीन एक-सा नहीं होता.....
- जैसे-जैसे लड़की बड़ी होती है.....

- सिनेमा में जिंदगी की झलक होती है।
- वक्त के साथ बदलता हमारा गाँव.....
- घर में मेहमान का आना.....
- त्योहार जिंदगी में रंग भर देते हैं।

प्रत्येक वक्ता अपने अनुभवों के आधार पर अपनी सोच व्यक्त कर रहा है और इसमें भाषा उनकी मदद कर रही है। वे जो कुछ भी बोल रहे हैं अपनी पूर्व स्मृतियों और अनुभवों के आधार पर बोल रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि **भाषा स्मृतियों और अनुभवों का ऐसा कोष और प्रतीक बनाने में मदद करती है जो हम अपने परिवेश में स्वयं रचते चलते हैं।**

एक तरफ़ भाषा हमारे विचारों को बुनती चलती है तो दूसरी तरफ़ इसी बुनावट को उधेड़ती, उसमें कुछ जोड़ती और घटाती भी चलती है। यह प्रक्रिया हमें ज्ञान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। पारंपरिक तरीके से चलने वाली कक्षा में यह प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। भाषा को जिस यांत्रिक तरीके से पढ़ाया जाता है, वहाँ पढ़ने का जिंदगी से वास्ता नज़र नहीं आता। भाषा शिक्षण में हमें इस बात को समझना होगा कि भाषा का हमारी जिंदगी से कितना जुड़ाव है।

हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि कक्षा में लड़कियों को विविध उद्देश्यों के लिए भाषा का इस्तेमाल करने के मौके मिल सकें ताकि वे अपने जीवन में भी भाषा को एक सशक्त औज़ार और माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने का सलीका सीख सकें।



‘पढ़ना क्या है’, की एक आम समझ हमारे देश में इतनी गहरी पैठ चुकी है कि हमने कभी उसे विचार-विमर्श का विषय नहीं बनाया। हालाँकि पढ़ने को लेकर हमारी चिंताएँ कम नहीं हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ने में उनकी रुचि नहीं है इत्यादि अकसर सुनने को मिलता है। यदि हम इन समस्याओं को समझना और सुलझाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर पढ़ना है क्या?

निम्नलिखित गतिविधियों के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे—

गतिविधि 1

अदोमना मसि पाराबा मतुंगदा ज्ञान ताना लौसिन्बा डम्ब्रा?

- बॉक्स में दिए वाक्य को ब्लैकबोर्ड पर लिखें और सभी इसे पढ़ें।
- अब सहभागी पढ़े गए वाक्य पर अपनी प्रतिक्रिया दें।
- क्या सबने लिखे हुए वाक्य को पढ़ लिया?
- यदि हाँ, तो क्या पढ़ा? ‘नहीं’ तो क्यों नहीं पढ़ पाए?

उत्तरों पर चर्चा करें।

जब तक पढ़े हुए को समझा न जाए तो क्या उसे पढ़ना कहा जा सकता है? इस चर्चा का उद्देश्य यह समझ बनाना है कि ‘**पढ़कर समझना ही पढ़ना है**’।

अब हम यह समझने की कोशिश करें कि यदि ‘समझना’ नहीं हो पाता तो वह किन कारणों से नहीं हो पाता? या हम किन मुख्य कारणों से पढ़ी हुई सामग्री को नहीं समझ पाते? इसके जवाब में आए मुख्य बिंदुओं को ब्लैकबोर्ड पर लिखें।



गतिविधि 2

बोर्ड पर लिखे वाक्य पर वापस आएँ और उनसे पूछें कि पहला वाक्य पढ़कर वे क्यों नहीं समझ पाए?

देवनागरी लिपि से परिचित होने के कारण लिखे हुए वाक्य को हम उच्चारित तो कर पाए परंतु समझ नहीं पाए। नहीं समझ पाने का कारण है 'मणिपुरी' भाषा को न जानना। हम इस भाषा विशेष से परिचित न होने के कारण अर्थ का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं।

गतिविधि 3

अब सहभागियों को निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ने के लिए दें। पढ़ने के बाद उनसे पूछें कि पढ़े हुए को वे कितना समझ पाए। यदि समझने में दिक्कत हुई तो क्यों? इस पर चर्चा करें।

नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़ें।

ग्लोबल बाजारों की कमजोरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई. आई.) द्वारा बड़े पैमाने पर पूँजी निकासी ने भी बी.एस.ई. के इस संवेदी सूचकांक को नीचे धकेल दिया। यह इस दिन 401.30 अंक यानी 2.83 फ़ीसदी लुढ़ककर 13769.15 पर बंद हुआ।

क्या इस अनुच्छेद को समझने में दिक्कत हुई? क्यों? यहाँ तो हम लिपि और भाषा दोनों से ही परिचित हैं। मुमकिन है कि चर्चा के दौरान ये बातें निकलकर आएँगी कि उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं है या प्रस्तुत अनुच्छेद में जिन अवधारणाओं की बात की जा रही है, वे उन अवधारणाओं से परिचित नहीं हैं। इन अवधारणाओं की समझ न होने के कारण लिखी गई बात को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते।

पढ़े हुए को समझने के लिए यह आवश्यक है कि जिन अवधारणाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमें भाषा के साथ-साथ, उनका थोड़ा बहुत पूर्वज्ञान होना चाहिए या पढ़ने से पूर्व अवधारणाओं से परिचित हो जाना चाहिए।



गतिविधि 4

अब इस वाक्य को देखें

‘मुँह मगरमच्छ पानी को खाने लालच से उसके में को भर आया के।’

इस पर सबकी प्रतिक्रिया जानें। क्या यह वाक्य किसी अर्थ को संप्रेषित कर पाने में सक्षम है? जाहिर है कि ऊपर दिए वाक्य की संरचना व्याकरण सम्मत नहीं है इसलिए अर्थ गढ़ना कठिन हो जाता है।



गतिविधि 5

अब यह अंतिम वाक्य देखिए। स्पष्ट है कि यह वाक्य उर्दू में लिखा हुआ है।

हम	सारे	जहाँ	से	अच्छा	हन्दुस्तान	हमारा
हम	बल्लियाँ	हैं	अस	की	ये	गस्ताँ

हम में से कितने लोग इस वाक्य को पढ़ सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? चर्चा के दौरान यह बात निकल कर आएगी कि हम में से जो भी प्रस्तुत लिपि से परिचित नहीं हैं वे उस वाक्य को नहीं पढ़ सकते।

अर्थात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि ‘पढ़ने’ के लिए कुछ बातें नितांत आवश्यक हैं।

- वाक्य का उच्चारण करने और पढ़ने के साथ-साथ उसे समझते चलने में अंतर है।
 - ‘पढ़ना’ एकाकी प्रक्रिया नहीं है, उसमें कई प्रक्रियाएँ शामिल हैं। पढ़ते वक्त भाषा के उपयोग से जुड़े तीन तरह के संकेत सामने आते हैं।
 - अर्थ
 - वाक्य-विन्यास
 - ध्वनि-आकृति संबंध
- पढ़ते समय यदि इन तीनों का ताल-मेल न हो तो पढ़ना संभव नहीं है।

प्रिंट समृद्ध परिवेश

स्कूल में कदम रखने से पहले बच्चे अपने परिवेश में बोली जाने वाली भाषा को सुनकर बोलना अपने आप ही सीख जाते हैं। इसी प्रकार उनके आस-पास यदि लिखित भाषा के नमूने उपलब्ध हों, तो वे पढ़ना सीखने में सहायक होते हैं। प्रिंट समृद्ध परिवेश का अर्थ है, ऐसी कक्षा जो बच्चों को पढ़ने के भरपूर अवसर दे। इस अर्थ में भी कि उपलब्ध सामग्री रोचक, विविध और स्तरानुकूल हो। केवल सामग्री उपलब्ध करवा देना ही पर्याप्त नहीं है, कोशिश यह होनी चाहिए कि ये पठन सामग्री बच्चों की पहुँच के भीतर हो और बच्चे उसे पढ़ें। ऐसा होने से बच्चे अलग-अलग विधाओं, शैलियों से परिचित होंगे और हर प्रकार की सामग्री सहजता और चैन के साथ पढ़ सकेंगे।

कक्षा में प्रिंट सामग्री का सार्थक इस्तेमाल तब होता है जब बच्चे उससे जूझें, पढ़ें और अर्थ का निर्माण करें। ये सामग्री बच्चों द्वारा खुद लिखी हुई या गतिविधि के दौरान निकली हुई कहानी, कविता या फिर, कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय से संबंधित किताब भी हो सकती है। प्रदर्शित सामग्री का उद्देश्य कक्षा की सजावट नहीं बल्कि बच्चों की नज़रों के दायरे में ऐसी सार्थक प्रिंट सामग्री देना है जिसका वे इस्तेमाल कर सकें। आवश्यक है कि यह सामग्री समय-समय पर कक्षा की गतिविधि के अनुसार बदलती रहे।

गतिविधि 1

चर्चा के लिए बिंदु:

- हमारी कक्षा में किस प्रकार की सामग्री प्रदर्शित की जाती है?
- हमारी कक्षा में प्रिंट सामग्री के नाम पर क्या-क्या इस्तेमाल किया जाता है?
- कक्षा में सामग्री प्रदर्शित करने का उद्देश्य क्या है?
- प्रिंट समृद्ध वातावरण एवं कक्षा की सजावट में क्या अंतर है?
पढ़ने की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है एवं क्यों? ऊपर दी गई बातों के आधार पर सामूहिक चर्चा करें।



गतिविधि 2 (पाँच-पाँच के समूह में)

- प्रत्येक समूह एक पाठ (कविता, कहानी) पढ़े। इस पाठ को पढ़ने के बाद वे पढ़ने और लिखने से संबंधित कुछ गतिविधियाँ सोचें और सोचें कि इसे करने के दौरान किस प्रकार की लिखित सामग्री निकल कर आ सकती है और इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य सामग्री क्या हो सकती है जो पढ़ने के लिए बच्चों को दी जा सकती है। गतिविधि के दौरान निकली सामग्री को प्रदर्शित करते समय वे किन बातों को ध्यान में रखेंगे?
- एक-एक करके प्रत्येक समूह अपनी बात को प्रस्तुत करे।



गतिविधि 3

चर्चा के लिए सवाल

- बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराने की ज़रूरत क्यों है?
- अपने विचारों को वे लिखें और उस पर बातचीत करें।

पाठ की आवाज़

3

हममें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें नियमित रूप से कुछ न कुछ पढ़ने की आदत है। कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ तभी कुछ पढ़ते हैं जब 'पढ़ना' बहुत ज़रूरी हो जाए। दोनों में से कोई भी स्थिति क्यों न हो, कभी-कभार ऐसा भी संयोग बनता होगा कि जो कहानी/कविता/लेख या फिर नाटक बचपन में पढ़ा हो वह आपको उम्र के किसी और पड़ाव में पढ़ने को मिल गया हो। जैसे कि बहुतों को कहते सुना है— “प्रेमचंद की कहानी 'ईदगाह' या फिर 'दो बैलों की कथा' हमने छोटी क्लास में भी पढ़ी थी और फिर बड़े होने पर भी।”

एक ही रचना (कहानी/किस्सा/लेख/कविता) अगर जीवन की अलग-अलग अवस्था में पढ़ने को मिले तो आपको क्या लगता है कि—

- पिछले अनुभव से अलग होगा?
- किसी तरह का अंतर महसूस नहीं होगा।

निश्चित तौर पर अंतर तो महसूस होगा। कोई भी रचना पढ़ते समय हम उसे अपने अनुभवों, अपने दृष्टिकोण से जोड़ते चलते हैं और जो नये विचार कुलबुलाते हैं वे भी हमारे अनुभवों के आधार पर बनते हैं। जैसे, प्रेमचंद की 'बड़े भाईसाहब' बचपन में पढ़ी तो मजेदार और हँसने वाली कहानी लगी, पर जब शिक्षक बनने के बाद पढ़ी गई तो वही कहानी समूची शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने की चेतना पैदा कर देने वाली कहानी बन गई।

यह फ़र्क कैसे और कहाँ से आया? कहानी तो वही है।

यह अंतर तो स्वाभाविक है और सकारात्मक भी। इसे नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं। पर रचनाओं को पढ़ने और पढ़ाने के समय एक अंतर और भी आ जाता है, जो हम स्वयं रचते हैं। इस अंतर की पहचान करके इसे अपने वश में करना बहुत ज़रूरी होगा।



गतिविधि

इस अंतर की पहचान करने के लिए –

- महाश्वेता देवी की एक रचना “क्यूँ-क्यूँ छोरी” पढ़ें।
- सभी के पढ़ लेने के बाद उस पर बातचीत करें, बातचीत से उभरी प्रतिक्रियाओं को ब्लैकबोर्ड पर नोट किया जा सकता है।
- अब मान लें कि यह कहानी सहभागियों को पाँचवीं या छठी कक्षा में पढ़ानी हो तो वे विद्यार्थियों के लिए कैसे अभ्यास प्रश्न बनाएँगे।

अब हम कहानी के आधार पर बनाए गए उन सवालों को देखें जो एक शिक्षक के नाते बनाए गए हैं। इन प्रश्नों की तुलना उन विचार बिंदुओं से करें जो एक पाठक के नज़रिए से उभर कर आए थे।

दोनों में किस तरह का अंतर नज़र आ रहा है? जब आपने रचना को पहले पढ़ा तो आप उससे पूरी तरह जुड़ गए थे। आप उस कहानी को महसूस कर पा रहे थे। उसका मर्म समझने के लिए सक्रिय हो गए थे। वह आपके किसी विमर्श की कहानी लगने लगी थी। पर ज्यों ही आपने उसे शिक्षक की हैसियत से देखा, कहानी के प्रति आपका दृष्टिकोण एकदम बदल गया। वह आपको कक्षा में पढ़ाए जाने वाले ‘पाठ’ के अतिरिक्त कुछ नहीं लगी।

इस अंतर को समझना और अपने वश में करना बहुत ज़रूरी है। यह ज़रूरी है कि पहले चरण के जुड़ाव का ध्यान आप दूसरे चरण में पढ़ाते समय भी रखें।

क्यूँ-क्यूँ छोरी


छोटी-सी लड़की थी वह। करीब दस साल की। एक बड़े से साँप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़ कर उसे ले आई। “ना, मोइना, ना।” मैं उस पर चिल्लाई।

“क्यूँ?” उसने पूछा।

“वो कोई धामन-वामन नहीं है, नाग है, नाग।” मैंने उससे कहा।

“तो! नाग को क्यूँ न पकड़ूँ?”

“क्यों पकड़ो?” मैंने कुछ नाराज़गी के साथ पूछा।



“पता है हम साँप खाते हैं। मुंडी काट दो, चमड़ा बेच दो, मांस पकाकर खा लो।” उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। “नहीं इसे नहीं।” मैंने उसे समझाते हुए कहा। “तुम्हें ऐसा नहीं करना है।”

“हाँ, हाँ, करूँगी।” उसने हठपूर्वक कहा।

“पर क्यों ऐसा करोगी?”

मैं उसे शबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। उसकी माँ खीरी वहाँ एक टोकरी बुन रही थी।

“चलो थोड़ा आराम कर लो।” मैंने कहा।

“क्यूँ?” उसने फिर कहा।

“क्यों नहीं? थकी नहीं हो क्या?” मैंने पूछा।

मोइना ने नकारते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा— “बाबू की बकरियाँ कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना ये सब कौन करेगा?”

उसके इन प्रश्नों को सुन कर मैं कुछ सोचने लगी।

खीरी ने उससे कहा— “बाबू ने जो चावल भेजा है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना न भूलना।”

“क्यूँ? क्यूँ दूँ उसे धन्यवाद? उसकी गोशाला धोती हूँ, हज़ारों काम करती हूँ उसके लिए कभी धन्यवाद देता है मुझे? मैं क्यूँ उसे धन्यवाद दूँ?”

मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझसे बोली— “ऐसी लड़की नहीं देखी कभी। बस क्यूँ? क्यूँ? की रट लगाए रहती है। गाँव के पोस्टमास्टर ने तो उसका नाम ही ‘क्यूँ-क्यूँ छोरी’ रख दिया है।”

“मोइना मुझे तो अच्छी लगती है।” मैंने खीरी से कहा।

“इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं।” खीरी ने कहा।

मोइना आदिवासी लड़की थी। शबर जाति की। शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे। पर शबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ़ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती जाती।

“क्यूँ, मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यूँ रहते हैं हम पत्तों की झोंपड़ी में? हम दिन में दो बार चावल क्यों नहीं खा सकते?”

मोइना गाँव के संपन्न लोगों की बकरियाँ चराया करती थी। पर न तो वह अपने को दीन-हीन समझती थी, न ही मालिकों का अहसान मानती। वह अपना काम करती, काम खत्म होने पर घर आ जाती और बुदबुदाती रहती-

“क्यूँ, उनका बचा-खुचा खाऊँ मैं? मैं तो बढिया खाना खाऊँगी। शाम को हरे पत्ते वाली भाजी (साग) और चावल और केकड़े मिर्चीवाले। सभी घर वालों के साथ बैठ कर खाऊँगी।”

वैसे शबर अपनी लड़कियों को आमतौर पर काम पर नहीं भेजते। पर मोइना की माँ खीरी एक पाँव से लँगड़ी थी। वह ज़्यादा चल-फिर नहीं सकती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था। सो मोइना को भी काम करना पड़ता था।

उस अक्टूबर में मैं ‘शबर सेवा समिति’ के दफ्तर में पूरा एक माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोंपड़ी में मेरे साथ रहेगी।

“बिलकुल नहीं” खीरी ने कहा।

“क्यूँ नहीं?” इतनी बड़ी झोंपड़ी है। एक बुढिया के लिए कितनी जगह चाहिए?

“तुम्हारे काम का क्या होगा?” मैंने उससे पूछा।

“काम के बाद आया करूँगी।” उसने तुरंत ही अपना निर्णय सुना दिया। और वह एक जोड़ी कपड़े तथा एक नेवले के साथ आ पहुँची।

“यह बस ज़रा-सा खाना खाता है और बुरे साँपों को दूर भगा आता है।” उसने कहा।

“अच्छे वाले साँपों को मैं पकड़ कर माँ को दे देती हूँ। क्या बढिया तरीवाला साँप बनाती है माँ। तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊँगी।”

समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा- “आप तो तंग आ जाएँगी इसकी ‘क्यूँ-क्यूँ’ सुनते-सुनते।”

और वाकई, वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। “क्यूँ, मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी पडती हैं? उसके लड़के खुद क्यूँ नहीं चराते? मछलियाँ बोल क्यूँ नहीं पातीं? अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यूँ नज़र आते हैं?”

और हर रात को “तुम सोने के पहले किताबें क्यूँ पढती हो?”

“इसीलिए कि किताबों में तुम्हारी क्यूँ-क्यूँ के जवाब मिलते हैं।” मैंने उसे उत्तर दिया।

यह सुन वह चुप रही। उसने कमरा ठीक-ठाक किया। फूलों वाले पौधे को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा— “मैं पढ़ना सीखूँगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूँढ़ निकालूँगी।”

जो-जो वह मुझसे सीखती, वह बकरियाँ चराते समय दूसरे बच्चों को बताती।

“कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करतीं। मछलियों की अपनी भाषा है, जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है?”

एक साल बाद जब मैं उस गाँव में दुबारा पहुँची, तो सबसे पहले मोइना की आवाज़ ही सुनाई दी।

“स्कूल क्यूँ बंद है?” समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए वह मालती से ललकारने जैसी आवाज़ में पूछ रही थी।

“क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों बंद है, कहने का?”

“मैं भी क्यूँ न पढ़ूँ?” उसका दूसरा प्रश्न था।

“तो तुम्हें रोक कौन रहा है?”

“पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। कहाँ पढ़ूँ?”

“स्कूल का समय पूरा हो चुका है।”

“क्यूँ?” उसने फिर प्रश्न किया।

“तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह नौ बजे से ग्यारह बजे तक कक्षा लगाती हूँ।” मोइना ने पाँव पटकते हुए कहा— “तुम समय बदल क्यूँ नहीं देती? मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी होती हैं, सुबह! मैं तो केवल ग्यारह बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूँगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूँगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले, हम लोगों में से कोई भी नहीं आ सकेगा, अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो।”

तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले नौ-दो-ग्यारह हो गई।

शाम को घूमते-घूमते मैं मोइना की झोंपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मजे से बैठी, अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी— “एक पेड़ काटो तो दो पेड़ लगाओ। खाने से पहले हाथ धोओ, जानते हो क्यूँ? पेट दर्द हो जाएगा,

अगर नहीं धोओगे तो। तुम कुछ नहीं जानते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते।”

गाँव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी।

मोइना अब बीस साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुज़रो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी—

“आलस मत करो। मुझसे सवाल करो। पूछो, क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर के आकाश में ही क्यों रहता है? पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए?”

और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं— “क्यों”

वैसे मोइना को पता नहीं है कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी “क्यों? मेरे ही बारे में क्यों”

—महाश्वेता देवी

लिखना : एक अंदाज़-ए-बयाँ

4

लिखना कहने का एक खास अंदाज़ है। अपने आप से जुड़ने का, दुनिया को समझने का यह एक सिलसिला है। हर इन्सान कुछ न कुछ सुनना-कहना चाहता है पर जिस तरह सुनना-कहना सिर्फ़ स्कूल में नहीं सीखा जाता उसी तरह लिखना भी स्कूल से बाहर हो सकता है या यूँ कहें, उन विधियों से अलग हो सकता है, जो स्कूल द्वारा सदियों से आजमाई जाती रही हैं।

लेखन हर एक शख्सियत के लिए निहायत बुनियादी संस्कार है। इन्सान कुछ न कुछ उकेरना चाहता है—किसी भी सतह पर, वैसे ही जैसे पहले के ज़माने में लोग ज़मीन पर लिखते-मिटते और फिर लिखते थे। अगर हम इस चीज़ की पहचान कर लें कि लिखना हमारी जैविक ज़रूरत और आदत ही नहीं, एक कौशल ही नहीं बल्कि चाहत है तो शायद लिखना सिखाने के प्रति हमारा रवैया बदल जाए।

हम स्कूलों में बच्चों को पहले कागज़ पर कलम चलाने का तरीका सिखाते हैं। स्कूलचर्या ने लिखने के कुछ ढर्रे गढ़े हैं; जैसे—वर्तनी, सुलेख, बँधे-बँधाए विषयों पर एक खास ढंग से लिखने के अभ्यास। पर क्या यह ज़रूरी है कि लेखन का रियाज़ एक खास ढर्रे पर ही चले? क्या लिखने के लिए हम जिन औज़ारों का इस्तेमाल करते आए हैं, उनसे आगे जाने की ज़रूरत है? लेखन सिर्फ़ संवाद को निश्चित तरीके से दूसरों तक पहुँचाने का माध्यम भर नहीं है। सच पूछा जाए तो लिखना अंदाज़-ए-बयानी की खासियत है—यानी हर इन्सान उसी चीज़ को अलग-अलग ढंग से कह सकता है, कुछ इस हद तक कि लिखने के अंदाज़ से कभी-कभी मामूली तो कभी-कभी बड़ा-सा फ़र्क पैदा हो जाए, हमें नए अर्थ सूझने लगे। शिक्षण में इसकी गुंजाइश होनी चाहिए कि हम लेखन की विविधता की पहचान करें और उसको प्रोत्साहित करें।

फिर लेखन पढ़ी हुई चीज़ को उगलना नहीं है, यह तो तोता-रटंत या पुनर्प्रस्तुति है। लिखना दरअसल अनुभवों और विचारों का, हर पढ़ी हुई चीज़ का बेहतर विवेचन है। इन्हें अपनी विशिष्ट जुबान में कैसे कहा जाए, ताकि बात भी कह दी जाए और बात पर अपनी छाप भी लग जाए—यह लेखन की कला है जिसे अभ्यास से साधा जा सकता है बशर्ते अभ्यास में आज़ादी हो लिखने की, नानाविध भंगिमाओं से खेलने की। तभी हम सिर्फ़ अच्छा लिखनेवाले विद्यार्थी से आगे जाकर लेखक-लेखिका पैदा कर सकेंगे, जिन्हें अपनी रचना पर फ़ख्र होगा।

गतिविधि 1

साझी रचनाकारी

माहौल में सबके आने को इज़्जत दी जाए। हर हिस्सा लेने वाला कहानीकार और लेखक है। माहौल में जितने भी लोग हैं उनके पास कुछ कहने, कुछ बनाने की अपनी क्षमता पहले से हैं।

गतिविधि - साझी कहानियाँ, जो सबके द्वारा लिखी हुई होती हैं।

- लाइनों से लाइन जोड़कर कहानी बनाना

एक छोटी-सी पाँच पन्नों की कॉपी में किसी एक लाइन को लिखना और उसे किसी और को लिखने के लिए छोड़ देना।

जैसे - वो कल शाम अपनी सहेली के घर गई थी।

वो कल शाम अपनी सहेली के घर नया सूट पहनकर गई थी।

कही गई बात में हर कोई अपने-अपने अंदाज़ या अपने आस-पास के अनुभवों को जोड़कर इसे रचने के सफ़र में दाखिल होता है। हर रचना में खुद को रखने के साथ-साथ कई लोगों को शामिल किया जा सकता है।

गतिविधि 2

चीज़ों के नक्शे बनाना

इस महफ़िल में शामिल हुए हर शख्स से ये पूछना कि उनसे जुड़ी किसी चीज़ की क्या कहानी है? हमारा मानना है कि हर कोई अपने साथ कई कहानियाँ लिए चलता है। वे कहानियाँ जो उसके हर वक्त और मौकों को ताज़ा करती हैं।

जैसे-

- पैरों की चप्पल कहाँ से ली, किसके साथ लेने गए थे, जिससे ली उससे क्या बातें हुई? वगैरह।
- चोट के निशान - वे निशान जो हर किसी की यादों में जम जाते हैं, दिन, समय, चेहरा और बात बनकर।
- तोहफ़ा क्या है, किससे मिला, किस मौके पर, उससे जुड़ी कोई याद? उन्हें याद करके लिखना, देखकर लिखना और किसी को बताते हुए लिखना। ये सब हर किसी को एक कहानीकार और लेखक के रूप में उभार देता है।

गतिविधि 3

कहानी में अपना रंग भरना

इस मुलाकात में आए साथियों के बीच में कई कहानियाँ बाँट दीजिए और कहिए कि इन कहानियों में वे अपना माहौल, अपनी बातें, अपना आस-पास, अपने रिश्ते और अपने शब्द डालकर उसे अपना बना लें।

कहानी की आलोचना किए बिना उस कहानी की संभावनाओं को समझने और उसके साथ जुड़ने के लिए गतिविधि होनी चाहिए। इसमें लिखने आए साथी खुद को उड़ान में देख सकें।

गतिविधि 4

बूझो तो जानें

जगह और चीज़ों को बिना कोई नाम दिए हुए उन्हें कैसे बताया जा सकता है? जैसे-

- बिना 'रेलवे स्टेशन', 'चाय की दुकान', 'छत', 'गली', 'सड़क' बोले हुए उसको लिखिए।
- बिना कोई नाम और ठोस पहचान दिए हुए चेहरा लिखिए; जैसे-बुजुर्ग, चौकीदार, रिक्शा वाला, किसान, बस ड्राइवर, टीचर, डॉक्टर वगैरह।
इस गतिविधि में शामिल हैं-बारीकी से देखना, सोचना, महसूस करना और लेखन में इन्हें लाने की कोशिश करना।



गतिविधि 5

- लिखने का हमारी जिंदगी में क्या महत्त्व है? हम क्यों लिखते हैं? आपस में इस पर विचार-विमर्श करें और लिखें। लिखने के प्रयोजन पर आपके जो विचार निकल कर आएँ, आप उसकी तुलना कक्षा में बच्चों द्वारा किए जा रहे लिखित कार्य से कीजिए। आखिर वे क्यों लिखते हैं?
- सहभागियों से कहें कि वे अपने लिखने के लिए कोई एक विषय चुन लें। मसलन मेरा नया दफ़्तर, बहन की शादी या अपनी मर्जी का कोई अन्य विषय। चुने गए विषय पर वे दो अलग-अलग पाठकों को ध्यान में रखकर दो अनुच्छेद या लेख लिखें। हो सकता है कि 'मेरा नया दफ़्तर' पर एक अनुच्छेद वे अपने किसी हमउम्र दोस्त को ध्यान में रखकर लिखें और इसी विषय पर दूसरा अनुच्छेद अपनी छोटी बहन या बेटी को ध्यान में रखकर।
- लिखने के बाद दोनों अनुच्छेदों में तुलना करें। क्या फ़र्क पाया, यह अंतर क्यों आया?
- कक्षा में किए गए लिखित कार्य बच्चे किसके लिए करते हैं, उनके लेखन का पाठक कौन होता है इस पर चर्चा करें।

पाठ से आगे

5

अगर हम अपने आस-पास या दूर-दराज़, कहीं के भी स्कूलों में चल रही सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं का अवलोकन करें तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएगी कि अधिकतर विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकें कक्षा पर हावी रहती हैं। कक्षाओं की क्रियाशीलता और कार्यशैली पूरी तरह से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर करती है।

आमतौर पर अध्यापकों के पास एक ही चीज़ नज़र आती है, वह है पाठ्यपुस्तक। उनके लिए पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम का एक मूर्त रूप बन जाती है। वह उनकी समूची कार्यप्रणाली पर चाबी की तरह काम करती है। उसमें जो कुछ भी है केवल उसे ही पढ़ाया जाना ज़रूरी समझा जाता है। उसमें दिए गए पाठों को पढ़ना, उन्हें याद करना, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों का लिखित, कभी-कभी मौखिक रूप से उत्तर देना, बस यही सब क्रियाएँ समूची अधिगम प्रक्रिया का आधार होती हैं। यह सब नियमित रूप से होने वाली गतिविधियाँ बहुत सीमित, बाध्यकारी और उकताहट भरी हैं, जिनका बच्चों की समझ और क्षमताओं से बहुत कम संबंध होता है। यदि हम इस सत्य में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान के सृजन में बच्चों की सक्रियता महत्वपूर्ण है तो हमें सीखने-सिखाने की सामग्री में पाठ्यपुस्तक के पाठों से आगे जाकर देखना होगा। कुछ इस तरह की सामग्री जुटाने के प्रयास करने होंगे जो एक तरफ़ तो बच्चों को अपनी समझ और निर्मित करने की स्वाभाविक क्षमता के विकास में मदद करे, दूसरी तरफ़ उन पाठों को भी वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद करे। बच्चों की समझ और दुनिया से संबंधित नई संभावनाएँ खोज सके।

गतिविधि 1

सहभागी 'बचपन' पर जो कुछ भी, और जिस भी विधा में लिखना चाहते हैं, लिखें। लिखने के लिए उन्हें 10 मिनट का समय दिया जाए। संभवतया लिखने से पहले सहभागी अपने आपसे किसी तरह का सवाल करें, जैसे कि बचपन पर क्या लिखें? कोई यादगार पल या कोई घटना? बचपन की कोई कविता लिखें या कहानी? बचपन में स्कूल की बात लिखें या घर की? सभी सहभागी लिख चुकें तो 6-7 सहभागियों से उनके लिखे की प्रस्तुति करवाएँ। इन अभिव्यक्तियों में क्या समानताएँ नज़र आईं? क्या अलग नज़र आया? इस पर चर्चा करें।

ये समानताएँ तथा भिन्नताएँ

- भाषा
- शैली
- विधा को लेकर हो सकती हैं।

चर्चा के दौरान ये बातें निकलकर आ सकती हैं- कुछ प्रस्तुतियों में सपाट बयानगी-सी थी, जैसे- मैंने ये किया था, मैं ऐसा करती थी या मैं वहाँ गई थी, यानी कि अनुभवों को सूचीबद्ध करना।

कोई प्रस्तुति बचपन की किसी ऐसी घटना को बयाँ कर रही होगी जो लिखने वाले की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। किस अनुभव को हमने किस नज़रिए से देखा, वह हमारे लिखे हुए में उभरता है और हमारी पहचान भी बनता है। 'अपनी आवाज़ के साथ लिखना' स्वाभाविक बात है और इस तरह के लिखे हुए से अपनी पहचान भी बनती है। किसी कहानी को पढ़ते समय उसकी भाषा, शैली, पात्रों के चित्रण और कथ्य से अनुमान लगा लेते हैं कि अमुक कहानी अमुक लेखक की होगी। यानि कि 'लिखा हुआ' उस लेखक की पहचान है। यह पहचान हम सबके लेखन में शामिल है। इसे उभारने के लिए ज़रूरी है कि एक ही कथ्य या विषय से जुड़ी भिन्न-भिन्न रचनाएँ बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाएँ।

पाठ्यपुस्तक एक नमूना भर होती है। वह ऐसा माध्यम है जो हमें दिशानिर्देश देता है पर उसी पर निर्भर रहने की बाध्यता नहीं है। पाठ्यपुस्तक के पाठों को आधार बनाकर और भी सामग्री जुटानी होगी। एक पाठ को अपने आप में 'पर्याप्त' मानकर पढ़ा देना काफ़ी नहीं होता है। पाठ के आगे जाकर बहुत-सी संभावनाएँ खोजना बच्चों के लिए तो लाभदायक होगा ही स्वयं आपके लिए भी

मजेदार अनुभव होगा। पाठ से आगे जाने का मतलब है पाठ से किसी न किसी प्रकार का रिश्ता जोड़ती हुई दूसरी रचनाएँ। ये रचनाएँ विधा, शैली, विषय-वस्तु और रचनाकार के लिहाज से अलग होंगी पर पाठ विशेष को समझने व उसे विस्तार देने में मदद करेंगी।

गतिविधि 2

निम्नलिखित रचनाएँ पढ़ें—

- मन्ना : वे गीत फ़रोश भी थे
- जनक दुलारी हमारे गाँव की
- पुरानी बस्ती
रचनाओं में समानताओं और भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, पढ़ी गई रचनाओं पर प्रतिक्रियाएँ बाँटें।
- तीनों रचनाओं का कथ्य किस ओर संकेत करता है?
- भाषा ने कथ्य के अनुरूप किस तरह अपना रूप बदला है या फिर तीनों में एक-सी ही भाषा का इस्तेमाल हुआ है?
- तीनों की शैली समान है या फिर विषय-वस्तु, पात्रों के अनुसार वह भी अपना रूप बदल रही है?

चर्चा के लिए बिंदु—

किसी पाठ या रचना से जुड़ी और दूसरी रचनाएँ पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि एक तरफ़ वे तरह-तरह की शैलियों, विधाओं से परिचित करवाती हैं तो दूसरी तरफ़ पहले से बनी अवधारणाओं और समझ में कई और पहलू जोड़ती हैं और नई अवधारणाओं का निर्माण करके उसे विस्तार देती हैं।

गतिविधि 3

पाठ पढ़ने से पहले इन रचनाओं में जिन जानवरों का जिक्र आया है तथा सहभागियों के मन में उनकी क्या छवि है, उस पर मोटे तौर पर बात हो। इसके बाद सहभागी इन रचनाओं को पढ़ें—

- रातभर बिलखते चिंघाड़ते रहे

- एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियाँ
- बाघ आया उस रात


चर्चा के लिए बिंदु—

पाठ में उन पशुओं के बारे में कौन-सी बात मुख्य रूप से उभर रही है? बचपन में जानवरों की पढ़ी कहानियों को याद करें तो देखेंगे कि हमने शेर और जंगली हाथी से जुड़ी जो कहानियाँ या कविताएँ पढ़ीं, उनसे इन पशुओं की छवि कुछ इस तरह की बनी कि वे शक्तिशाली हैं, उदंड हैं, किसी से नहीं डरते बल्कि डराते हैं, जैसा कि कविता 'बाघ आया उस रात' में भी कुछ इसी तरह की छवि बन रही है। पर जब दूसरी रचनाएँ पढ़ीं तो शेर और हाथी के प्रति या जानवरों के प्रति बनी समझ में नये पहलू जुड़ते गए, जैसे कि—

- खतरनाक पशुओं में भी संवेदनशीलता होती है।
- इन्हें भी दर्द होता है।
- इनकी भी वही ज़रूरतें हैं जो हमारी हैं; जैसे—भोजन, प्यार-दुलार, आराम इत्यादि।
- ये भी किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं और ऐसे में हमारी ही तरह इन्हें भी दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है।
- ज़रूरत के अनुसार ये भी अपनी व्यथा को अभिव्यक्त करते हैं।
- ये भी बीमार पड़ते हैं तो इन्हें भी इलाज की ज़रूरत होती है।
- कथ्य के अनुसार भाषा ने भी अपना रूप बदला है। जिस कहानी में शेर राजा के रूप में सामने आता है और जहाँ वह बीमारी से जूझता हुआ प्राणी है, दोनों में भाषा के अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे।

पाठक के रूप में इस अनुभव के बाद सोचें कि क्या हाथी, बाघ या शेर पर कोई एक कविता या कहानी पढ़ लेना काफ़ी है? अवधारणाओं का बनना, बदलना, संशोधित होना, नये पहलुओं को जोड़ते जाना क्या यह सब एक पाठ को पढ़ भर लेने से संभव हो सकेगा?

निश्चित रूप से हमें पाठ से आगे जाना होगा और उसके लिए पाठ से जुड़ी सामग्री खोजकर बच्चों को देनी होगी या फिर बच्चों की मदद करनी होगी कि वे ऐसी अन्य सामग्री भी खोज कर पढ़ें। भाषा की विविधता को उकेरने, साहित्य



का रसास्वादन करने, शैलियों व विधाओं का परिचय देने के लिए कोई भी पाठ्यपुस्तक अपने आप में पर्याप्त नहीं है। भाषा की कक्षा से अपेक्षा है कि बालिकाएँ स्थायी और उत्साही पाठक बनें, साहित्य को पढ़ने-समझने में सक्षम हों। यह तभी होगा जब पाठ्यपुस्तक को एकमात्र 'संसाधन' न मानकर उसके पाठों से जुड़ी तरह-तरह की सामग्री जुटाई जाए और बालिकाओं को पढ़ने के लिए दी जाए।

1. मन्ना : वे गीत फ़रोश भी थे

थोड़ा बहुत लिखना-पढ़ना मन्ना से ही सीखा पर उन पर कभी कुछ लिखा नहीं। मन्ना को गए आज 15 बरस हो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कभी 15 शब्द भी नहीं लिखे।

कारण कई थे। पहला तो वे खुद थे। कुछ के लिए वे ज़रूर 'गीत फ़रोश' रहे होंगे, पर हमारे लिए तो वे बस पिता थे। हर पिता पर उसके बेटे-बेटी कुछ लिखें, यह उन्हें पसंद नहीं था। कुल मिलाकर हम सबके मन में भी यह बात ठीक उतर गई थी। मन्ना ने एकाध बार बहुत ही मज़े-मज़े में हमें बताया था कि कोई भी अमर नहीं होता। पिता के मरते ही उसके बेटे-बेटी उनकी याद में कोई स्मारिका छाप बैठें, खुद लेख लिखें, दूसरों से लिखाते फिरें, उनकी स्तुति, योगदान को स्थायी रूप देने के लिए उनके नाम से कोई संस्था, संगठन खड़ा कर दें, यह सब बिलकुल ज़रूरी नहीं होता। उनकी मृत्यु के बाद हमने इस बात को पूरी तरह निभाया, न खुद लिखा, न लिखवाया। दूसरा कारण उनकी एक कविता थी—'कलम अपनी साध, और मन की बात बिलकुल ठीक कह एकाध'। कलम साधना, मन की एकाध बात कहना कठिन काम है। फिर कवि नामक इस कविता की आगे की पंक्तियाँ और भी कड़ी शर्त रखती हैं— 'यह कि तेरी भर न हो, तो कह, और बहते बने सादे ढंग से तो बह'। तो मन की बात ठीक एकाध कभी सूझी नहीं। सूझी भी तो मन्ना की शर्त 'तेरी भर न हो' लागू करने के बाद कभी कुछ ऐसा बचता नहीं था लिखने लायक।

हम सब उन्हें मन्ना कहते थे। भाषा को बिगाड़ने का कुछ पाप जिन संबोधनों से लगता हो, वैसे संबोधन पिता के लिए तब प्रचलित नहीं हुए थे। लेकिन तब के नाम—बाबूजी, पिताजी, बाबा आदि से भी हम और वे बच गए थे। वे खूब बड़े भरे-पूरे परिवार में मँझले भाई थे। पिताजी के बड़े भाई उन्हें प्यार से सिर्फ़ 'मँझले'

कहते और फिर दादा-दादी से लेकर सभी छोटे बहन-भाई, यानी हमारे चाचा, बुआ आदि भी उन्हें आदर से 'मँझले भैया' ही कहने लगे थे। मुझसे बड़े दो भाई सन् 1942 में जब पिताजी को पुकारने लायक उम्र में आ रहे थे कि वे जेल चले गए। जेल में लिखी उनकी कविता 'घर की याद' में इस भरे-पूरे परिवार का, उसके स्नेह का आँखें गीली करने लायक वर्णन है। 2-3 बरस बाद जब वे जेल से छूटकर लौटने वाले थे, तब ये दोनों बेटे अपने पिता को किस नाम से पुकारेंगे, इस बारे में नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) में घर में बुआओं, चाचाओं में कुछ बहस चली थी। दोनों को कुछ सलाह, निर्देश भी दिए गए थे। पर जब वे सामने आकर अचानक खड़े हुए होंगे तो दोनों बेटों ने रटाए-सिखाए गए संबोधन कूद के पार कर लिए थे और सहज ही 'मँझले भैया' कहकर उनकी तरफ़ दौड़ पड़े थे। बेटों के लिए भी वे 'मँझले भैया' बने रहे।


फिर जन्म हुआ मुझसे बड़ी बहन नंदिता का। जीजी से 'मँझले भैया' कहते बना नहीं। उन्होंने उसे अपनी सुविधा के लिए 'मन्ने भैया' किया। फिर मन्ने भैया और थोड़ा घिस कर चमकते-चमकते 'मन्ने' और अंत में 'मन्ना' हो गया। जब मेरा जन्म 1948 में वर्धा में हुआ तब तक पिताजी जगत मन्ना बन चुके थे—सिर्फ़ हमारे ही नहीं, आस-पड़ोस और बाहर के छोटे-से लेकिन आत्मीय जगत के।

—अनुपम मिश्र

2. जनकदुलारी हमारे गाँव की

काकी का नाम जनकदुलारी है। पूरब में काकी चाची को कहते हैं—चाची यानी काका की पत्नी। जनकदुलारी काका का नाम तो बिसनाथ को इस बार गाँव जाने पर पता चला लेकिन उनके बारे में श्यामसुन्दर उर्फ़ सूसे ने दो-तीन बार पहले ही बता रखा था। सूसे काका नॉन-गुड़, हल्दी, मसाला का बोकचा पीठ पर लादकर गाँव-गाँव बेचने जाते थे। लखाही गाँव में उनकी भेंट जनकदुलारी से हुई। सूसे काका ने ताड़ लिया—बात चलाई—आखिरकार घुट्टी तिवारी साइकिल पर, खड़ी दोपहर में जनकदुलारी को लेकर बिस्कोहर आए। घुट्टी तिवारी का असली नाम अयोध्या प्रसाद था, वे बिसनाथ के पट्टीदारी में काका लगते थे।

काकी की शादी पहले कहीं और हुई थी। आदमी उमर में थोड़ा पक्का था। पूछने पर काकी ने बताया—“उमिर तो रहै हमका गोद में लैके खिलावै के और करै सक-सुबहा! कौनो सुख नहीं जाना! जैसे कन्ता घर रहे वैसे रहे बिदेस। दाना



न घास खरहरा दोनों जून। हम रहें मजबूत-भागि आए मायके। बाप ने समझ लिया। बोले-“तुम बिटिया नहीं बेटवा हो, घर का काम करो और रहौ, कोई ससुर कुछ कही तो देख लेबा।”

जनकदुलारी खेत में काम करतीं, बैलों को सानी-भूसा करतीं, माँ मर चुकी थीं, भाई छोटे-छोटे थे। बाप नामी सरकश। लोग डरते, कोई इधर-उधर करे तो खेत फूँक दें, बैल हँकवा दै, नहीं तो साले का घर फूँक दें। थानेदार, पुलिस अकसर उन्हें पकड़ ले जाती। जनकदुलारी को न बाप की हरकतें पसंद आतीं न पुलिस की। लेकिन एक बार गजब हो गया। थानेदार आए और बाप को गाँव के बाहर बाग में बुलवा गाँव वालों के सामने पिटवाने लगे। बाप को बँधवा दिया। रिश्तेदार जो खार खाए बैठे थे, थानेदार को कुछ सुँघाया-सरकार इसकी बेटी भी जालिम है, नाक कटाकर मायके में कमाती है। थानेदार बोला-क्यों जी, बुलाओ जनकदुलारी को-देखें कैसी है। सिपाही घर पहुँचे तो काकी ने कहा-“थानेदार होंगे अपने घर के। बाप को पीट रहे हैं, का बतावैं लड़का होती तो खून-कतल होइ जाता। थानेदार से कहो जनकदुलारी को न छेड़ें, खून नाच रहा है।” और रोने लगीं। सिपाहियों ने कहा-“ज्यादा नखरा न बघारो, चार हंटर पड़ेगा तो नशा हिरन हो जाएगा। सीधी चलो नहीं तो झोंटा पकड़कर ले जाएँगे।”

जनकदुलारी ने दौड़कर दरवाजा बंद किया और अंदर से बोली-“अच्छा ई बात है तो जाके कह दो अगर असल के हैं तो आकर झोंटा पकड़ कर घसीट ले जाएँ।”

उधर लाठियाँ पटकते, गालियाँ बकते सिपाही थानेदार के पास चले। इधर जनकदुलारी ने बाधी (बनकस की रस्सी) बाँधना और गंडासा पहटना शुरू किया।

थानेदार आगे-आगे बूट पटकता तमतमाता आया। दरवाजे के किनारे काकी खड़ी थी। वह जैसे ही नजदीक आया काकी ने बाधी उछालकर फाँसा और गंडासे से गच्च् से वार किया। लेकिन थानेदार पहने था हैट। हैट पट्ट से कटा, साथ में थानेदार की जुल्फी। लेकिन सर बच गया। पागल की तरह बेतहाशा चीखता हुआ भागा। यह सब देखकर गाँव वाले भी शेर बन गए। “....मारो स्साले थानेदार को, गाँव की नाक कट गई तो रहा क्या। बुधई पांडे (जनकदुलारी के बाप) चोरी-डाका करते हैं तो क्या ई साला गाँव की बिटिया को बेइज़्जत करेगा-” थानेदार भागा....सिपाही खेत में होकर भागे, कइयों को एक-दो लाठी पड़ी, कइयों को नहीं, दहशत में गिर पड़ गए, उनके हाथ-पैर फूट गए।

—विश्वनाथ त्रिपाठी

3. पुरानी बस्ती

हज़रत निज़ामुद्दीन की बस्ती में ज़की मियाँ का चाय का होटल है। ज़की मियाँ, हर सुबह दूध से तरोताज़ा मलाई की प्लेट बचाकर अलग से रख देते। क्या पता किस वक्त मलाई के शौकीन हुसैन पहुँच जाएँ? खाने-पीने के अनोखे अड्डे और जगहें उन्हें बचपन से ही आकर्षित करते रहे हैं। निज़ामी होटल की लज़ीज़ दाल, उस पर एक चमचा कोरमे की मार। बिरयानी की खुली देग। सलाखों पर सिकते सींख कबाब। उलटे तवे पर उछलती रूमाली रोटी। मिट्टी के कुल्हड़ में कढ़ाई के औँटते दूध की धार से निकलती सोंधी खुशबू। गल्ले पर आवाज़ लगाता लड़का—“ब्लू मफ़लर वाले के दो रुपये तीस पैसे। तीन भाई के दो बिल साथ। एक थाली कुल छः रुपये में चार आने कमा।” टोकरी में बँधी कुड़कुड़ाती मुर्गी। अंडों का ऑमलेट दो जगह हाफ़ प्लेट। निज़ामी होटल से लगी फ़जल की दुकान, तस्बीह, जानमाज़, लुंगी, बुरका। जुमा के जुमा नमाज़ पढ़ने वालों के लिए मलमल की दुपल्ली टोपी।

शुरू-शुरू में हुसैन को बहुत कम लोग पहचानते थे। 1960 का ज़माना। हुसैन अपनी फ़्रियट खुद चलाते जिसके बोन्ट पर पेंट किया था, छलाँग मारता घोड़ा। दरवाज़े पर नाचती गोपियाँ और बीच में बाँसुरी बजाता बालगोपाल। हुसैन आए, गाड़ी खड़ी की और बेंच पर थोड़ी देर के लिए लेट गए। कमर ने पानी का गिलास मेज़ पर रखकर आवाज़ लगाई—“हुसैन साहब की चाय गिलास में, आधा दूध, आधा पानी चाय की पत्ती तेज़।”

उस दिन उन्होंने आधा प्लेट कीमा आर्डर किया और कहा—“कीमे पर एक अंडा हाफ़ डालकर लाओ।” तभी उनकी मेज़ पर दीवार चुनने वाला शकूरा आ बैठा। हुसैन खादी का कुरता पहनते, पैरों में न जूता न चप्पल। बस्ती के लोगों में आसानी से घुल-मिल जाते। शकूरा पूछने लगा—“तुम्हारा मालिक कैसा है, जिसकी तुम नौकरी करते हो, तनख़्वाह तो ठीक देता है?” हुसैन ज़रा सिटपिटाए, सँभले और बोले—“हाँ, ठीक है। मालिक, बड़ा मेहरबान है।”

शकूरा फिर बोला—“तुम्हारी ही नौकरी अच्छी, काम का काम और मुफ़्त में मोटर की सैर। मुझे देखो, धूप हो या जाड़ा, करनी से मसाला लगाओ और बसौली से ईंट चुनो।”

हुसैन ने दिल में सोचा, एक कारीगर मिस्त्री और पेंटर में क्या फ़रक है। यहाँ वह मिस्त्री ज़रूर है, लेकिन पहली ईंट अगर तिरछी रख दी, तो चाहे वह इमारत आसमान तक पहुँचा दे, तिरछी के इल्ज़ाम से बच नहीं सकता। यही वह पहली ईंट, वह पहला कदम, वह पहली लकीरों में समाता रंग है। तसवीर का बुनियादी ढाँचा चाहे वह पेंटिंग 'महाभारत' की हो या 'करबला' की।

—एम. एफ. हुसैन

4. रात भर बिलखते-चिंघाड़ते रहे

उड़ीसा राज्य के सिम्प्लीपाल टाइगर रिज़र्व में पच्चीस हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थीं। जिन हथिनियों के साथ दुधमुँहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। दाँव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दतैल और बड़ी हथिनियाँ बच्चों की रक्षा करती हैं।

सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बँटकर अलग-अलग वनखंडों में चरने चले जाते हैं।

1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुज़र रहा था। उन दिनों सिम्प्लीपाल जंगलों के हाथी दो टोलियों में बँटकर बाराकमारा-तिनाधिया सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे।

एक धुई दो साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध चूँघता था।

इस बच्चे ने जंगल की घास-पत्ती को मुँह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियों, पेड़ों और पगडंडियों को जानने-पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वह अपनी टोली से ज़रा अलग होकर नाले की तरफ़ जा रहा था। रात का दौरा लगाने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था। वह बच्चे पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा, उसकी चिंघाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका। उसे छोड़कर नाले में चला गया।

शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बाराकमारा में रेंजर ऑफ़िस के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल

और रक्षा करना, रेंज ऑफ़िसर की ज़िम्मेदारी होती है। उसके दफ़्तर के सामने पहुँचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे।

कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए। बाकी हाथी ज़ख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूँड़ में घास का पूला उठाकर चँवर डुलाती रही जिससे घाव पर मक्खियाँ न बैठें। उसकी आँखों से आँसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना ज़ख्मी हो गया था कि दूध नहीं चूँघ सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे-मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है। पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया।

मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी लौट आए। रेंजर ऑफ़िसर के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेरकर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आँखें आँसू बहाती रहीं। वे चिंघाड़ते, रोते और बिलखते रहे।


5. एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियाँ

नयी दिल्ली : घाघस एक एशियाई शेर – चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वह ज़िंदा है और पहले की तरह गरजता है।

घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज़ की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए उसे तीन दिन तक लगातार सुई लगाई। पर इससे उसे कोई फ़ायदा न हुआ, अब तो उसने खाना एकदम छोड़ ही दिया था और मुँह से लार भी बहने लगी थी।

घाघस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने जाँच के लिए भेजे गए। हालाँकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती थी।

वह अपने पिछले पैरों से लँगड़ाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक डी.एन. सिंह ने बताया “एक महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया। हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया। खाने में किए गए बदलाव का असर



हुआ और घाघस ने 70-80 प्रतिशत तक खाना खाया जो कि एक अच्छा संकेत था। हालाँकि उसकी हालत में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था।


घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सकीय पिंजरे में रखा गया। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी, उसके शरीर की भाप से सिंकाई भी की जाती थी और अब वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था पर हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए।

हालत ऐसी हो गई थी कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा न था।

घाघस की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्यजीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, शायद वे ही कोई राह सुझा सकें। सिंह ने आगे बताया कि गुजरात के प्रमुख वन्यजीव संरक्षक ने उन्हें आणंद के डॉक्टर आर.जी. जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया।

घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉ. जानी ने उसे होम्योपैथी दवाइयाँ देने की सलाह दी। होम्योपैथी इलाज शुरू होने के दो माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई और अब वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। यह बात है 3 अगस्त की यानी कि पूरे छह माह वह तकलीफ़ में रहा। बीमारी की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गया है पर हालात में अभी सुधार है।

6. बाघ आया उस रात



“वो इधर से निकला

उधर चला गया SS”

वो आँखें फैलाकर

बतला रहा था—

“हाँ बाबा, बाघ आया उस रात,

आप रात को बाहर न निकलो!

जाने कब बाघ फिर से आ जाए!”

“हाँ, वो ही ी ी! वो ही जो

उस झरने के पास रहता है

वहाँ अपन दिन के वक्त
गए थे न एक रोज़?
बाघ उधर ही तो रहता है
बाबा, उसके दो बच्चे हैं
बाघिन सारा दिन पहरा देती है
बाघ या तो सोता है
या बच्चों से खेलता है ...”

दूसरा बालक बोला—
“बाघ कहीं काम नहीं करता
न किसी दफ़्तर में
न कॉलेज में SS”

छोटू बोला—
“स्कूल में भी नहीं ...”
पाँच-साला बेटू ने
हमें फिर से आगाह किया
“अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना!”

—नागार्जुन

संदर्भ से जुड़ा व्याकरण

6

(I) व्याकरण के नियमों को जाने बिना क्या हम कोई भाषा जान सकते हैं?
(सामूहिक चर्चा)

सहयोगी 7-8 सहभागियों की राय जानें।

(II) हम सब व्याकरण जानते हैं। छोटा बच्चा जिसने अभी स्कूल में कदम नहीं
रखा है, वह भी व्याकरण जानता है। इसका प्रमाण बच्चे की भाषा है।
(सहयोगी बोर्ड पर बच्चे की भाषा के इस उदाहरण को लिखें)

(i) आंटा

(ii) मैंने मच्छर को मरा दिया।

(अब सहयोगी सहभागियों से पूछें, क्या बच्चे की यह भाषा उसके व्याकरण
जानने का प्रमाण है?) भाषा का इस्तेमाल कर पाना व्याकरण जानने का प्रमाण
है। लड़का-लड़की, बकरी-बकरा, मामी-मामा की तर्ज़ पर बच्चे ने 'आंटा' का
इस्तेमाल 'आंटी' के पुल्लिंग रूप में किया। इसी तरह करना-कराना, चलना-चलाना,
उड़ना-उड़ाना जैसी क्रियाओं का इस्तेमाल अपने आस-!पास होता सुना। अतः
उसके आधार पर उसने अकर्मक क्रिया 'मरना' का प्रेरणार्थक रूप 'मराना'
बनाया। तार्किक दृष्टि से यह बिलकुल ठीक है।

किशोरी केंद्र में दाखिला लेने आई बच्ची व्याकरण जानती है। जिस चैन से
वह भाषा का इस्तेमाल करती है यह उसका प्रमाण है। उदाहरण के लिए-

(i) मैं दूध पीती हूँ। (ii) सलमा दूध पीती है। (iii) सलमा ने दूध पीया।

पहले दो वाक्यों में क्रिया का रूप स्त्रीलिंग है क्योंकि कर्ता भी स्त्रीलिंग है।
हिंदी में क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार तय होता है।
तीसरे वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग होने के बावजूद क्रिया का रूप पुल्लिंग है क्योंकि

हिंदी का यह नियम है कि कर्ता के बाद 'ने' आने पर क्रिया कर्ता के अनुरूप नहीं, कर्म के अनुरूप होती है। चूँकि 'दूध' पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी 'पीया' है 'पी' नहीं। जो भी ऊपर दिए वाक्यों को बोलता है, वह इन नियमों को समझता है, वरना सलमा ने चाय पीया, वह चाय पीता है, जैसे वाक्य बोलता।

- (i) ऊपर चर्चित नियम वाक्य में क्रिया की अन्विति से संबंधित है। व्याकरण से संबंधित कोई और भी पक्ष लें। उससे संबद्ध नियमों को दर्शाने वाले 6-8 उदाहरण बोर्ड पर लिखें। कागज पर लिखकर तैयार रखें। कागज को चार-पाँच शिक्षिकाओं के समूह में बाँट दें। शिक्षक समूह में चर्चा करें और प्रस्तुतिकरण के द्वारा उन्हें बताएँ कि दिए गए उदाहरणों के पीछे क्या नियम काम कर रहे हैं। जैसे-

बहुवचन-	लिफ़ाफ़ा-लिफ़ाफ़े	सड़क-सड़कें
	कला-कलाएँ	आम-आम आदि

पदबंध में अन्विति-

नीली चादर	नीला कुर्ता
नीली चादरें	नीले कुर्ते आदि

- (ii) सहभागियों में हिंदी के अलावा किसी और भाषा-बोली को बोलने वाला कोई हो तो उससे अपनी भाषा के एकवचन और बहुवचन के 6-8 उदाहरण बोर्ड पर लिखने को कहें। अब इस डेटा का सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया जाए।

(iii) शिक्षण में व्याकरण - क्या, कैसे

जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षित-अशिक्षित सभी लोग व्याकरण जानते हैं। फिर शिक्षण में व्याकरण का क्या स्वरूप हो और उसे कैसे बरता जाए? व्याकरण की समझ का आकलन इस बात से नहीं होता कि बच्चियाँ व्याकरण की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाएँ कितनी अच्छी तरह जानती हैं। संज्ञा, क्रिया विश्लेषण, आदि व्याकरण की विभिन्न अवधारणाओं/पक्षों का इस्तेमाल हमेशा वाक्य या कहानी, कविता आदि पाठ के संदर्भ में होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि वाक्य या पाठ के संदर्भ में व्याकरण के बिंदुओं को बच्चियाँ पहचान सकें और संदर्भ में



उनका इस्तेमाल कर पाएँ। आइए, पाठ्यपुस्तकों से व्याकरण के प्रश्नों के दो नमूने देखें।

(सहयोगी एक नमूना व्याकरण के पारंपरिक प्रश्न का और एक नमूना रिमझिम 4 या 5 के प्रश्न का दें जिसमें पाठ के संदर्भ में व्याकरण का प्रश्न पूछा गया हो) सहभागी दोनों प्रश्नों की प्रकृति का विश्लेषण करें और उस पर सामूहिक चर्चा की जाए।

(iv) व्याकरण जानने से ही भाषा नहीं आती। भाषा जानने का अर्थ केवल व्याकरण जानना नहीं है।

हम उर्दू, तमिल या जर्मन का व्याकरण पढ़ लें और उस भाषा के नियमों के बारे में जान जाएँ तो क्या हम उस भाषा को अच्छी तरह बोल-समझ सकते हैं? हम उस भाषा के सौ शब्दों के अर्थ जान लें तो क्या हम दावा कर सकते हैं कि हमें वह भाषा आती है?

भाषा जानने का मतलब क्या होता है?

- हम सहज और प्रभावशाली ढंग से किसी भाषा को समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें।
- जरूरत और संदर्भ के अनुसार भाषा को ढाल सकें।
- भाषा की खूबसूरती को सराह सकें और उतने ही खूबसूरत ढंग से उसका प्रयोग कर सकें।

भाषा की बारीकियों को पहचान सकें और भाषा का सटीक इस्तेमाल कर सकें। इसलिए कक्षा में पढ़ाने और पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ में भाषा की बात केवल व्याकरण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। पाठ के संदर्भ में बच्चों से ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए जो उनका ध्यान भाषा की बारीकी और खूबसूरती की ओर भी दिलाएँ। सहभागियों से 4-5 के समूह में कक्षा पाँच की रिमझिम और कक्षा छः की वसंत में भाषा के अभ्यास प्रश्न देखने को कहें और उस पर चर्चा करवाएँ। फिर समूह में चर्चा के निष्कर्षों की प्रस्तुति की जाए।



कैसे देखें और समझें बच्चों के भाषायी विकास को

7

अध्यापक विद्यालय में जो कुछ भी करते हैं उन सब में एक महत्वपूर्ण काम है—बच्चों द्वारा सीखे गए को आँकना या अंक देना। अध्यापक क्या, बच्चे और अभिभावक भी इसे विद्यालय की एक प्रमुख गतिविधि के रूप में देखते हैं। पर मूल्यांकन या आकलन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं इसे गहराई से समझने के लिए हम जॉन हॉल्ट का लेख 'जाँच का जुल्म' पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम परीक्षा से जुड़े अपने अनुभवों पर एक नज़र डाल लें।

गतिविधि 1

हम सभी अपने उन दिनों को याद करें, जब हम विद्यालय की परीक्षाओं की तैयारी करते थे।

(सत्र की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए लगभग आठ सहभागी पूरे समूह में अपनी परीक्षा से जुड़े अनुभव तथा भावनाएँ बताएँ और अनुभवों के आधार पर उभरते हुए मुख्य बिंदु श्यामपट्ट पर लिखते जाएँ।)

और जो बिंदु निकलकर आएँ उनमें भयमिश्रित/भययुक्त भावनाएँ जुड़ी हुई हैं? क्यों? बताए जा रहे अनुभवों में 'भय', 'तनाव', 'डर', 'दबाव' जैसी भावनाओं की ओर ध्यान दें और चर्चा करें।

चर्चा के लिए कुछ संकेत बिंदु—

1. आकलन और मूल्यांकन की इस तरह की व्यवस्था हम पर दबाव डालती है और भयमिश्रित माहौल पैदा करती है। क्या हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं?

2. मूल्यांकन की मौजूदा पद्धति में किस प्रकार के बदलाव और सुधार की गुंजाइश है?
3. आकलन से हमारा क्या तात्पर्य है? आकलन के ज़रिए हम क्या जानना चाहते हैं?
4. सतत आकलन कक्षा में कैसे लागू करेंगे?
 - इन सवालों के आधार पर समूह में चर्चा हो और चर्चा से उभरे मुख्य बिंदुओं को चार्ट पेपर पर लिखें।



गतिविधि 2

संलग्न सामग्री पढ़ने के लिए दें।

असफल स्कूल

जाँच का जुल्म (परीक्षण का अत्याचार)

मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। अधिकांश शिक्षक, परीक्षण को शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानते हैं। मैं इससे बिलकुल सहमत नहीं हूँ। मेरी राय में परीक्षण न तो ज़रूरी है, न ही उपयोगी और उसे माफ़ करना मुश्किल है। परीक्षण से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है। उससे सीखने की पूरी प्रक्रिया विकृत और भ्रष्ट हो जाती है। परीक्षण करने वालों का मानना है कि जाँच की तकनीकों में लगातार सुधार हो रहा है और वो अंत में एकदम दुरुस्त हो जाएँगी। शायद हाँ, परंतु जाँच अच्छी होने के बावजूद भी उसके खिलाफ़ मेरी आपत्तियाँ और कठोर होंगी। हमारी प्रमुख चिंता परीक्षण बेहतर बनाने की नहीं, उसे पूरी तरह हटाने की होनी चाहिए।

कुछ परिस्थितियों में परीक्षण ज़रूरी हो सकता है। अगर कोई संगीतज्ञ संगीत सभा में भाग लेना चाहता है तो उसकी निपुणता जानने के लिए उससे वॉयलन बजाकर दिखाने को कहा जा सकता है। अगर वो इमारतों का डिज़ाइन और निर्माण करना चाहता है तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि उसका बनाया ढाँचा गिरेगा नहीं। अगर वो सर्जन बनना चाहता है तो उसे कागज़ पर नहीं, आपरेशन टेबिल पर, समर्थ लोगों के समक्ष, कुछ लोगों का ठीक से आपरेशन करके दिखाना होगा।

कुछ इसी प्रकार के परीक्षण लोग अपनी प्रगति मापने के लिए खुद करते हैं। टाइपिस्ट अभ्यास द्वारा अपनी स्पीड बढ़ाता है। क्रिकेट के खिलाड़ी भी अपने कार्य में दक्ष होने के लिए बार-बार अभ्यास करते हैं। पायलट भी विमान को उतारने का बार-बार अभ्यास करता है। यानी किसी भी ईमानदारी के अभ्यास में सीखने वाला, लगातार अपनी कुशलता और ज्ञान का परीक्षण करता है।

परंतु स्कूलों में जिस प्रकार का परीक्षण होता है उसका इस तरीके से कुछ लेना-देना नहीं होता।

छात्रों से अकसर उन गतिविधियों को दिखाने के लिए नहीं कहा जाता है जिन्हें उन्होंने अपनी मर्जी से चुना हो। इन क्रियाओं में न तो जान-माल का और न ही किसी संस्था के बरबाद होने का खतरा होता है। स्कूलों में परीक्षण एकदम अलग कारणों की वजह से होते हैं, और इन कारणों के बारे में हम बहुत ईमानदार नहीं हैं। शिक्षक बच्चों का परीक्षण इसलिए करते हैं जिससे वे यह जान पाएँ कि बच्चों ने क्या सीखा है, जिससे वे बच्चों को सीखने में और अधिक मदद कर सकें। वे कम से कम खुद से और जनता से तो यही कहते हैं। यह बात पिचानवे प्रतिशत गलत है। बच्चों के परीक्षण दो प्रमुख कारणों से किए जाते हैं। पहले, बच्चों को डरा-धमकाकर हम उनसे वो करा पाते हैं जो हम चाहते हैं। दूसरे, हमें बच्चों को पुरस्कार और सजा बाँटने का एक आधार मिलता है जिसकी नींव पर यह पूरा निरंकुश शिक्षा तंत्र खड़ा है। परीक्षाओं के भय से बच्चे अपना गृहकार्य करते हैं और परीक्षाओं में अच्छा करने की वजह से ही हम कुछ छात्रों को इनाम और पुरस्कार दे पाते हैं। समाज की तरह, स्कूल की अर्थव्यवस्था भी, लालच और भय पर ही चलती है।

यह प्रणाली जरूरी हो सकती है और शायद इससे बचना भी मुश्किल हो सकता है। बच्चे क्या सीखें? हमें इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए। मेरी तो यही राय है। हमने जो भी पढ़ाने का निर्णय लिया है उसे क्रियान्वित करने के लिए बच्चों को उनकी सफलता और असफलता के अनुपात में इनाम और सजा देने की बात भी मुझे अटपटी लगती है। परंतु सच्चाई तो यह है कि सभी स्कूलों में परीक्षण इसीलिए होते हैं। अगर हम सोचते हैं कि परीक्षाएँ किसी अन्य कारण से ली जाती हैं तो यह हमारी बेईमानी का द्योतक है।

बहुत से छात्रों और शिक्षकों का यह विश्वास है कि चाहे परीक्षाएँ बच्चों को डराती हों फिर भी वे बच्चों के कार्य की गुणवत्ता का एक सही मापदण्ड होती

हैं। मुझे लगता है जितना ज्यादा परीक्षाएँ बच्चों को भयभीत करेंगी, वे उनकी सीख को उतना ही कम माप पाएँगी और सीखने को कम प्रोत्साहित कर पाएँगी। इसके कई कारण हैं। जो सबसे स्पष्ट और महत्वपूर्ण है वह है – जब किसी छात्र को पता चलता है कि उसे परीक्षा के नतीजों पर आँका जाएगा तो उसका ध्यान परीक्षा सामग्री से हटकर, परीक्षक की ओर खिंच जाता है। अब छात्र के लिए परीक्षा-पत्र नहीं, परीक्षक महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा तब एक खोज नहीं, हाज़िर-जवाबी का खेल बन जाती है। परीक्षक अब एक सहायक नहीं बल्कि शत्रु बन जाता है।


कुछ वर्ष पहले किताबों की एक दुकान में मुझे मेडिकल छात्रों से संबंधित एक समाजशास्त्री शोध पढ़ने को मिला। मैं उसे यह जानने के लिए पढ़ने लगा कि मेडिकल छात्र भी क्या उसी भय से डरते हैं जिससे मेरी पाँचवीं कक्षा के बच्चे डरते हैं। उनका भी वही हाल है इसका मुझे जल्द ही पता चल गया। इस शोध के लेखकों ने बहुत से, अलग-अलग स्तर के, मेडिकल छात्रों का इंटरव्यू लिया था। इन छात्रों ने बार-बार यह बताया कि वे मेडिकल कालेज में आने के बाद, पूरा दिल लगाकर डॉक्टरी पढ़ना चाहते थे। परंतु कालेज में उनकी लगातार परीक्षाएँ होती रहीं और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनका भविष्य पूरी तरह परीक्षाओं के नतीजों पर निर्भर होगा। जल्दी ही वे डॉक्टरी की बुनियादी पढ़ाई को छोड़कर, इम्तहान की तैयारियों में लग गए। कुछ समय बाद वे अपने प्रोफेसरों को आँकने लगे और उन पर *लेबिल* चिपकाने लगे। *लेबिल* शिक्षकों की कुशलता और ज्ञान पर नहीं, बल्कि उनके 'न्यायसंगत' होने पर आधारित थे। 'न्यायसंगत' प्रोफेसर वे थे जिनकी परीक्षाओं का पूर्व-अनुमान लगाकर, विषय की तैयारी की जा सके।

मुझे परीक्षाएँ, फँसाने का एक जाल और परीक्षक एक शत्रु जैसा लगता है। मेरा एक छात्र है जो पुराने अखबारों और पत्रिकाओं में से खुद करो और जाँचो वाली पहेलियों को काटकर मुझे उनको हल करने की चुनौती देता है। 'ज़रा देखें, आप कितने होशियार हैं!' या 'देखें, आप इन्हें कितनी तेज़ी से कर पाते हैं!' मुझे अचानक लगता है जैसे किसी ने मुझ पर लड़ाई छेड़ दी हो। जैसे कोई मुझे पागल बना रहा हो। अगर वह छात्र मुझसे उन पहेलियों के कुछ सवाल पूछता-वैसे मैं उसे इसका मौका ही नहीं देता हूँ तो मैं, अपने को यह सोचता

हुआ पाता, 'इसमें अड़चन कहाँ है? यह बंदा आखिर चाहता क्या है?' तब मैं शतरंज के खेल की तरह एक व्यक्तिगत द्वंद्व में फँस जाता।

अगर परीक्षा एक ऐसा खेल हो जिसमें प्रतिद्वंद्वी आपको मात देने की भरसक कोशिश कर रहा हो तो उसको हराना ही ठीक होगा। यही बात नकल की जड़ में है। आज 'अच्छे' स्कूलों में नकल बहुत प्रचलित है और बहुत सारे सफल छात्र भी इसमें माहिर होते हैं। शिक्षक के सामने नहीं आने पर भी, अपना ज्ञान दिखा पाना और नकल के बीच, कोई खास अंतर नहीं है। जो छात्र घोर दबाव में काम कर रहे हों वे इस अंतर को नज़रंदाज करते हैं। बहुत से शिक्षक भी ऐसा ही करते हैं। अगर शिक्षकों को, उनके छात्रों द्वारा लाए मानक टेस्ट के अंकों के आधार पर आँका जाए तो वे छात्रों के साथ मिलकर इस शत्रु का जी-जान से मुकाबला करें। अधिकांश स्कूल और शिक्षक का व्यवहार इस बारे में बिलकुल अनैतिक होता है। मैंने पाँचवीं के ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जिन्हें पिछली कक्षाओं में अंकगणित में, अच्छे अंक मिले थे परंतु यह बच्चे जोड़-घटाना भी ठीक से नहीं जानते थे। फिर परीक्षाओं में उन्हें अच्छे अंक कैसे मिले? क्या शिक्षकों ने छात्रों को बहुत रट्टा लगवाया? कई बार मुझसे भी रटवाने के लिए कहा गया है। 'बच्चों की समझ में आए या नहीं, उपयोगी है या नहीं, इसको छोड़ो। बस यह देखो कि परीक्षा में बच्चों के अच्छे नंबर आएँ।' क्या यह एक तरह की नकल नहीं है?

क्या परीक्षा का जाल होना ज़रूरी है? किसे इनाम मिले, और किसे सजा, इसे कौन निर्धारित करेगा? चर्चिल ने हैरो के अपने अनुभवों को बहुत साफ़ शब्दों में कहा था। चर्चिल को क्या आता था, इसे जानने में उसके शिक्षकों की कोई रुचि नहीं थी। उसे क्या नहीं मालूम था, वे सिर्फ़ यह पता करना चाहते थे। यह बात सामान्यतः सच है। ऐसा नहीं कि सभी शिक्षक शत्रु होते हैं परंतु यह इसी तंत्र की ही माँग है, जहाँ हमेशा, भेड़-बकरियों को छाँटकर अलग किया जाता है। अब ज़रा परीक्षक की कठिनाइयों को लें। जिस छात्र ने विषय को थोड़ा भी पढ़ा हो वह उसके बारे में घंटों तक लिख सकता है। उदाहरण के लिए, आठवीं के बाद मैंने अमेरिकी इतिहास को छुआ तक नहीं है और मैं उसे लगभग भूल चुका हूँ। इस विषय के बारे में मुझे जो कुछ भी मालूम है उसे मैंने इधर-उधर की किताबों में पढ़ा है जिन्हें इतिहास की पुस्तकें कहना गलत होगा। अगर मुझसे अमेरिकी इतिहास के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो मैं बहुत से पन्ने भर



डालूंगा, शायद एक पुस्तक या कई पुस्तकें लिख डालूँ। आप ही बताएँ, भला कोई मेरे ज्ञान को, या किसी इतिहास के छात्र के ज्ञान को, तीन घंटे में कैसे आँक सकता है? यह एक असंभव कार्य है। अगर शिक्षक एक ऐसी परीक्षा लेता है जिसमें छात्र अपने ज्ञान को दर्शा सकें, तो जल्द ही समय खत्म हो जाएगा और तब भी छात्रों का बहुत कुछ लेखन शेष रहेगा। शिक्षक को मूल्यांकन के दौरान, झक मारकर सभी छात्रों को समान अंक देने होंगे। पर यह बात अधिकारियों को नहीं पचेगी। हरेक स्कूल में, बच्चों के बीच अंतर पैदा करना ही शिक्षक का काम है। क्योंकि हरेक छात्र तो हारवर्ड विश्वविद्यालय जा नहीं सकता, इसलिए शिक्षक का काम ऐसे प्रश्न पूछना होता है, जिनका कम से कम कुछ छात्र तो उत्तर न दे पाएँ। बिलकुल चर्चिल के शिक्षकों की तरह ही उसका काम भी बच्चों की अज्ञानता को बाहर लाना है। अब किसे पुरस्कार मिले और किसे सजा इसका वह 'निष्पक्ष' रूप से यह निर्णय ले सकेगा।

परीक्षाओं के खिलाफ़ मुझे अन्य आपत्तियाँ भी हैं। परीक्षाओं से उन छात्रों को ही सजा मिलती है जो थोड़ा धीरे काम करते हैं। परीक्षाएँ उनका ही साथ देती हैं जो अनुमान लगाने में चतुर होते हैं, जो हिसाब में तेज़ होते हैं। परंतु जो छात्र अपने काम को सावधानी से पूर्ण रूप में करते हैं परीक्षाएँ उनके पक्ष में नहीं होतीं। सबसे ज़्यादा नुकसान उन छात्रों का होता है जो परीक्षाओं के बारे में फ़िक्र करते हैं। भय के कारण ऐसे छात्र, परीक्षाओं में अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। और जिसमें वे फ़ेल होते हैं, ऐसा हरेक टेस्ट उनके दिल में अगले टेस्ट के लिए एक बड़ा खौफ़ पैदा करता है। ऐसे अनगिनत छात्रों के लिए परीक्षाएँ बिलकुल बेकार होती हैं। ऐसे छात्र परीक्षाओं में पास होने की कोई कोशिश भी नहीं करते। अकसर वे जानबूझ कर फ़ेल होते हैं, शायद अपने पालकों को दुख पहुँचाने के लिए, या फिर इस जहन्नुमी तंत्र से लड़ने के लिए। जब हमें लगता है कि वे सही काम कर रही हैं तभी परीक्षाएँ सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती हैं। मैं अकसर अपने छात्रों से, परीक्षाओं और मूल्यांकन के बारे में लंबी चर्चाएँ करता हूँ। उनमें से कई बुद्धिमान और सफल छात्र, प्रतिष्ठित कालेजों में जाने की तैयारी में हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से बहुत से छात्र इस तंत्र जिसके खिलाफ़ वे कभी लड़ते थे, शिकायत करते थे, को बचाने की बात करते हैं। वे गुस्से में उत्तेजित होकर कहते हैं, 'अगर परीक्षाएँ नहीं होंगी और हमें नहीं आँका

जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं या नहीं? हम ठीक कर रहे हैं, या नहीं?’ यह सुन कर मुझे बहुत दुख होता है। मुझे उन दो-तीन वर्ष के बालकों की याद आती है जो लगातार अपनी बोली की तुलना आस-पास के लोगों की बातचीत से करते रहते हैं। मुझे वे पाँच-छह वर्ष के बच्चे याद आते हैं जिन्होंने खुद पढ़ना सीखा था, पन्ने के हरेक नये शब्द को खुद समझा था। वे जो भी सीखते उसकी लगातार पिछली बातों से तुलना करते। मुझे वे पाँचवीं के बच्चे साफ़ याद हैं जिन्होंने अंकगणित के पर्चे थमाकर मुझसे चिंतित भाव में पूछा था, ‘क्या यह ठीक है?’ जब मैंने उनसे कहा, ‘तुम क्या सोचते हो?’ तो वे मेरी तरफ़ ऐसे घूरने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। उनके सोचने पर क्या इसका कुछ फ़र्क पड़ा? अकसर सही बातों का, वास्तविकता और समझदारी से कुछ लेना-देना नहीं होता। शिक्षक के मुँह से निकली बात ही सही होती है। ‘सही’ ज्ञात करने का भी एक ही तरीका होता है—उसे शिक्षक से पूछो। स्कूलों में हम बच्चों को उनके काम को खुद मूल्यांकन करने का मौका ही नहीं देते। इससे बच्चों की निर्णय, और उसमें यकीन करने की शक्ति ही नष्ट हो जाती है। इस तरह स्कूल बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं।

—जॉन होल्ट

गतिविधि 3 (सामूहिक)

नीचे दिए गए कक्षा के विवरण को पढ़िए—

मिस्टर रायन दूसरी कक्षा के अध्यापक हैं। उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों में पढ़ते समय अर्थ निर्माण करने की क्षमता का विकास हो सके, वे अपने बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमता के विकास को कैसे देखते, समझते और दर्ज़ करते हैं यह उनकी कक्षा में चल रही गतिविधि की एक झलक से पता चल जाता है।

कक्षा में जाने पर हमने देखा कि उन्होंने अपनी कक्षा को चार समूहों में बाँट रखा था। प्रत्येक समूह एक किताब *इरा सेज़ गुडबाय* पर चर्चा कर रहा था जो सभी ने पढ़ी थी और श्यामपट्ट पर समूह में बातचीत के लिए तीन बिंदु लिखे गए थे।

1. रैगी ने ऐसा क्यों किया?

2. तुम्हें कहानी का कौन-सा भाग सबसे अच्छा लगा?

3. तुम्हें कैसा लगेगा यदि तुम्हारे साथ ऐसा होता?

मिस्टर रायन एक समूह के साथ बैठे हुए थे और उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। एक जगह वे इस बातचीत में शामिल हो गए और कहा, “जब मेरा सबसे अच्छा दोस्त चला गया था तब मैंने किसी से उसके बारे में बात नहीं की थी। अगर तुम इसकी जगह होतीं तो तुम क्या करतीं लिस्सेट?”

मिस्टर रायन अपने साथ एक बोर्ड, कुछ कागज़ और कुछ चिप्पियाँ लिए हुए थे। जैसे-जैसे वे एक समूह से दूसरे समूह की ओर बढ़ रहे थे, वे उन चिप्पियों पर कुछ लिखते जा रहे थे जिसे वे कागज़ों पर चिपका रहे थे।

जब सभी समूहों के साथ उन्होंने कुछ वक्त बिता लिया तब बच्चों ने प्रदर्शित किताबों में से अपने पसंद की किताब चुनी और पढ़ना शुरू कर दिया। किताब पढ़ चुकने के बाद कुछ बच्चे एक डिब्बे के पास गए जिस पर लिखा था ‘पढ़ी और लिखी गई सामग्री की फाइल’ उस फाइल में अपनी पढ़ी गई किताब का नाम दर्ज़ कर दिया।

दिन खत्म होने पर मिस्टर रायन ने उन चिप्पियों पर लिखी सभी टिप्पणियों को दुबारा पढ़ा। उनके पास एक रजिस्टर था जिसमें प्रत्येक बच्चे के नाम के कुछ पन्ने थे। इन चिप्पियों को उन्होंने बच्चों के पन्ने पर चिपकाया और साथ ही लिखे हुए को दुबारा पढ़ा। पहले से लिखे हुए में कुछ बातें और जोड़ीं और कुछ निकालीं। इसके बाद उन्होंने उस डिब्बे को देखा, यह जानने के लिए कि किस बच्चे ने अपनी मर्जी से क्या-क्या पढ़ा और कितना पढ़ा, और यह भी देखने के लिए कि उन्होंने अपने लिखित काम में और क्या जोड़ा है?

मिस्टर रायन ने अपनी लिखी गई टिप्पणियों और ‘पढ़ी और लिखी गई सामग्री की फाइल’ को देखने के बाद पाया कि सिर्फ़ एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी बच्चे अपने आप काफ़ी पढ़ रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे उस बच्चे से बातचीत करेंगे। इस बात को उन्होंने अपने पास दर्ज़ कर लिया। यह बात भी निकल कर आई कि शायद ऐसे कई बच्चे हैं जो इस कहानी को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने उन बच्चों की सूची बनाई, इनका एक अलग समूह बनाया ताकि वे इस कहानी को दुबारा पढ़कर इस पर चर्चा कर सकें।

(स्रोत : लिट्टेसी, हैल्पिंग चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट मीनिंग, जे. डेविड कूपर)



गतिविधि 4

ऊपर दिए विवरण को पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो रही है कि इस कक्षा में अध्यापक बच्चों की भाषायी क्षमता को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अध्यापक कक्षा में रोज की जा रही गतिविधियों के दौरान ही अपने बच्चों के भाषायी विकास को देख रहे हैं और दर्ज़ कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए किसी विशेष परिस्थिति की योजना नहीं बनाई है। पढ़िए और देखिए कि ऊपर दिए गए कक्षा के विवरण में आपको ये बातें कहाँ-कहाँ नज़र आती हैं। ऐसी जगहों की सूची बनाइए जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है कि अध्यापक बच्चों के भाषायी विकास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। विकास को जानने और दर्ज़ करने के लिए अध्यापक किन-किन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं?

चर्चा के लिए बिंदु

- मिस्टर रायन का इस बात में विश्वास था कि बच्चे पढ़ना-लिखना, पढ़ने और लिखने से ही सीखते हैं। चूँकि मिस्टर रायन की समूहों में भागीदारी थी, इसलिए पढ़ी गई कहानी पर वे बच्चों की वास्तविक प्रतिक्रिया जान पा रहे थे।
- अवलोकन के समय बच्चों के पढ़ने के पक्ष से जुड़ी जो भी बातें उन्हें नज़र आ रही थीं, वे उसे दर्ज़ करते जा रहे थे।
- बच्चों के पढ़ने के अलग-अलग पहलुओं का अवलोकन करने के बाद वे उस पर अपनी बयानगी दे रहे थे।
- बच्चे अपनी पढ़ी किताबों की जानकारी स्वयं भी दे रहे हैं, इस प्रकार वे भी इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं।
- अपने आप पढ़ना और लिखना, पढ़ना सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- मिस्टर रायन ने आखिर में अपने लिखे नोट को पुनः देखा और उन पर विचार किया। इससे उनको बच्चों के विकास के बारे में भी पता चला, साथ ही इसके आधार पर वह अपनी कक्षा के लिए की जाने वाली गतिविधि की भी योजना बना पाएँगे।
- मिस्टर रायन बच्चों के विकास की तुलना उनके अपने पिछले कार्यों से कर रहे थे, दूसरे बच्चों के कार्य से नहीं।



गतिविधि 5

- (i) यदि हम एक आत्मविश्वासी पाठक और लेखक बनना चाहते हैं तो हम अपने में किन-किन क्षमताओं का विकास देखना चाहेंगे? एक पाठक और लेखक के रूप में अपने अनुभवों के बारे में सोचें।

.....

.....


.....

.....

अपनी बनाई हुई सूची को आपस में बाँटें, बातचीत करें, कुछ महत्वपूर्ण बातों को श्यामपट्ट पर लिखें।

(ii) अब कक्षा दो की बच्ची को दिए गए हिंदी के कक्षा कार्य को देखिए।

कक्षा कार्य



तीता

1 यह तीता है।

2 तीता हरे रंग का होता है।

3 तीता टें-टें बोलता है।

4 इसकी घोंच लाल होती है।

5 यह पेड़ पर रहता है।

अक्षय ★

सोचिए कि इस कार्य को देने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। भाषा के किस पक्ष को जाँचने के उद्देश्य से यह गृह/कक्षा कार्य दिया गया?

(iii) अध्यापक ने बच्ची द्वारा किए गए काम को जाँचा है।



1 बारिश के मौसम में गीरे होते हैं।


2 मुझको बारिश में ^{महाना अर्थ} चलाजी अर्था लयता

3 बारिश के मौसम में आकाश में इंद्रधनुष
दिता है।

4 बारिश के मौसम में हर जगह ^{हरियाली} हरी हरी
होती है।




दीवाली



1. दीवाली के दिन दीए जलाते हैं।


2. सब मिठाई खाते हैं।

3. हम सब बहुत खुश होते हैं।



- जाँचते समय अध्यापक का पूरा ध्यान उसके काम के किस पक्ष को जाँचने में है?
- जाँचने के बाद बच्ची को अपने काम के बारे में और भाषा सीखने या इस्तेमाल के बारे में क्या समझ बन रही है?

टिप्पणी




चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा
पृष्ठ 146 रु. 50.00



पढ़ने की समझ
पृष्ठ 178 रु. 75.00



बुलबुल, बया और उनके दोस्त
पृष्ठ 96 रु. 90.00



The Story of Nai Talim
Marjorie Sykes
द स्टोरी ऑफ नई तालीम
पृष्ठ 112 रु. 65.00

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पत्तों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।



23076

विद्यया ऽ मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-5007-213-4